



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
6, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

भाग - I

पंजीकृत टैक्सी ऑपरेटर्स / कारों / टेम्पो ट्रेवलर्स / बस हायरिंग एजेंसियों / कंपनियों से पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु ई-निविदा

बोलीदाता का नाम:

पिन कोड के साथ पता:

फोन/ फ़ैक्स/ मोबाइल:

ईमेल:

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी माध्यम - चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई अन्य - पर प्रतिलिपित, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता; सिवाय इसके कि इसका उपयोग आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने हेतु किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए - भले ही वह प्राधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा किया गया हो - सख्ती से प्रतिबंधित है; ऐसा करना कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अनुक्रमणिका

खंड / अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ सं.
	अस्वीकरण	7
भाग I – तकनीकी वाणिज्यिक बोली		
खंड I	ई-निविदा का कार्यक्रम (एसओटी)	8
खंड II	ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश (एमएसटीसी पर बोली लगाने के लिए निर्देश और एमएसटीसी से संपर्क करने की जानकारी)	10
खंड III	बोलीदाता के लिए सामान्य नियम और निर्देश (संभावित बोलीदाताओं को बोलियां तैयार करने और जमा करने में सहायता के लिए निर्देश)	15
खंड III (ए)	बोलीदाता के लिए सामान्य निर्देश	
खंड III (बी)	पात्रता मापदंड	24
खंड III (सी)	बोलियों का मूल्यांकन	29
खंड III (डी)	टेंडर के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट	31
खंड IV	अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें (वे शर्तें जो संविदा को नियंत्रित करेंगी)	
खंड IV (ए)	कार्य और सेवाओं का दायरा	34
खंड IV (बी)	संविदा की शर्तें	40
खंड IV (सी)	जुर्माना क्लॉज़	57
खंड V	विभिन्न खंडों के अनुलग्नक	
अनुलग्नक I	ई-निविदा के फॉर्म	59
अनुलग्नक II	शॉर्टलिस्टिंग / पात्रता मानदंड के प्रारूप	62
फॉर्मेट 1	आधारभूत जानकारी	62
फॉर्मेट 2	पिछले कार्य का अनुभव	64
फॉर्मेट 3	पात्रता पूरी करने वाले कार्य	66

फॉर्मेट 3ए	क्लाइंट का उनके संविदाकार के काम-काज के बारे में प्रमाणपत्र	68
फॉर्मेट 4	वित्तीय स्थिति	70
फॉर्मेट 5	अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप	71
फॉर्मेट 5ए	बोली लगाने वाले के बैंकर का विवरण	72
अनुलग्नक III	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप	73
अनुलग्नक IV	वचन-पत्र	74
अनुलग्नक V	सार्वजनिक संस्थान(नों) द्वारा डिबारमेंट (प्रतिबंध) की घोषणा के संबंध में वचन-पत्र	75
अनुलग्नक - VI	बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता के संबंध में शपथपत्र का प्रारूप	77
अनुलग्नक VII	बयाना जमा राशि के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रोफॉर्मा	78
अनुलग्नक VIII	करार की शर्तें	81
अनुलग्नक IX	भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोली लगाने वाले द्वारा शपथपत्र / घोषणा / प्रमाण-पत्र का प्रोफार्मा	95
अनुलग्नक X	फीडबैक फॉर्म	87
भाग II – वित्तीय/ मूल्य बोली		
खंड VI	वित्तीय/ मूल्य बोली	99

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) ने इच्छुक बोलीदाताओं को " टैक्सी ऑपरेटर्स / पंजीकृत कार / टेम्पो ट्रेवलर / बस हायरिंग एजेंसियों / कंपनियों से, इच्छुक बोलीदाताओं के पैनल में शामिल होने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए ई-निविदा" पर पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है तथा यह मानता है कि यह सटीक है, फिर भी न तो बैंक और न ही इसके कोई प्राधिकारी या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित, करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण होने के उद्देश्य से नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं अपनी जाँच-पड़ताल करें; साथ ही, उन्हें लिखित रूप में इस बात की पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा कर लिया है और वे पैनल में शामिल होने के लिए पंजीकृत कार हायरिंग एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटर्स से आवेदन आमंत्रित करने हेतु ई-निविदा प्रस्तुत करते समय, केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है और बैंक कार्य को आगे न बढ़ाने या कार्य के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए समय सारिणी / अनुसूची को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यविधि को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इसके अलावा, निविदा प्रस्तुत करने वाले किसी भी बोलीदाता के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी उसके पास सुरक्षित है। पैनल में शामिल करने के लिए पंजीकृत कार हायरिंग एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटर्स से आवेदन आमंत्रित करने हेतु, इस टेंडर को जमा करने वाले व्यक्ति(यों) या बोलीदाता(ओं) को किसी भी प्रकार के खर्च की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। यदि दस्तावेज़ के हिंदी और अंग्रेज़ी संस्करणों के अर्थों में कोई विरोधाभास होता है, तो अंग्रेज़ी संस्करण की व्याख्या ही मान्य होगी।

खंड I : ई-निविदा का कार्यक्रम (एसओटी)

ई-निविदा (एसओटी) का कार्यक्रम इस प्रकार है:

क्र सं	मद	विवरण
1.	ई-निविदा संख्या	RBI/ Delhi Regional Office/HRMD/1/26-27/ET/63
2.	निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी	क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक मानव संसाधन प्रबंध विभाग नई दिल्ली टेलीफोन: 011-23353075 ई-मेल आईडी: (1) gpcnewdelhi@rbi.org.in ,
3.	कार्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुसार, 'ऑन-कॉल' आधार पर कार, टेम्पो ट्रैवलर और बस उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत टैक्सी ऑपरेटर्स/कार/टेम्पो ट्रैवलर/बस हायरिंग एजेंसियों/कंपनियों का पैनल में शामिल किया जाना।
4.	स्थान	नई दिल्ली
5.	निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (ईएमडी के प्रमाण सहित पहला ई-कवर, दूसरा ई-कवर जैसे, भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और तीसरा ई-कवर जैसे, भाग II – मूल्य बोली) निविदा केवल एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदापोर्टल (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/) के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
6.	निविदा की वार्षिक लागत (कर सहित)	₹1,70,00,000/- (रुपए एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) जीएसटी सहित
7.	वह तिथि जब एनआईटी पार्टियों को डाउनलोड हेतु उपलब्ध होगी	11 मई 2026 को अपराह्न 05:00 बजे से
8.	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और स्थान	08 जून 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, नई दिल्ली

9.	बयाना जमा राशि	₹ 3,40,000/- (रुपए तीन लाख चालीस हजार मात्र)। आगे का विवरण दस्तावेज़ के खंड III (ए) के क्लॉज़ 13 में दिया गया है
10.	<u>https://www.mstcecommerce.com/eproc/</u> पर ई-निविदा (ईएमडी, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली का प्रमाण) ऑनलाइन जमा करने की तिथि <u>https://www.mstcecommerce.com/eproc/</u> पर	08 जून 2026 को अपराह्न 05:00 बजे से
11.	एमएसटीसी पोर्टल पर पहले ई-कवर में ईएमडी जमा करने के प्रमाण की अंतिम तिथि और भुगतान का तरीका डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी होने की स्थिति में मूल ईएमडी दस्तावेज जमा करना।	19 जून 2026 को अपराह्न 12:30 बजे
12.	ई-निविदा (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली) ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	19 जून 2026 को अपराह्न 02:00 बजे
13.	प्रथम ई-कवर खोलने की तिथि और समय (ईएमडी जमा करने के प्रमाण सहित)	19 जून 2026 को अपराह्न 03:00 बजे (उन बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, जो उपस्थित रहने का चयन करते हैं।)
14.	दूसरे ई-कवर (जिसमें भाग-I अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली शामिल है) को खोलने की तिथि और समय	19 जून 2026, ईएमडी की प्राप्ति के सत्यापन के बाद (उन बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, जो उपस्थित रहने का चयन करते हैं।)
15.	तीसरे ई-कवर (जिसमें भाग II अर्थात मूल्य बोली शामिल है) खोलने की तिथि	केवल उन बोलीदाताओं, जो भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में योग्य होंगे, का तीसरा ई-कवर अर्थात भाग II (मूल्य बोली) बाद की तारीख को खोला जाएगा, और ईमेल के माध्यम से योग्य बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी। (बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, जो उपस्थित रहना चाहें)
16.	बोली की वैधता	दूसरे ई-कवर अर्थात निविदा के भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि से तीन महीने (90 दिन), जिसकी अवधि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी तथा बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेंगे।

खंड-II

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/संविदाकार एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना तथा उसके बाद जारी किए गए शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को पढ़ लें और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर वेंडर का पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही वेंडर अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली, दोनों ही इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएँगी। वेंडर के पास क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े एक निजी कंप्यूटर से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ (संस्करण 3) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।

1) वेंडरों को <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है।

वेंडर के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएँ। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएँ। वेंडरों को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें।

संपर्क विवरण (एमएसटीसी लिमिटेड):

क) एमएसटीसी मुख्यालय सेंट्रल हेल्प डेस्क: 07969066600\

ई-मेल: helpdeskho@mstcindia.in (कृपया ई-मेल में विषय के रूप में "HO हेल्प डेस्क" का विवरण लिखना न भूलें)

उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों, ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

ख) संपर्क व्यक्ति (उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय - दिल्ली)

(i) सुश्री अर्चना, मैनेजर, एमएसटीसी लिमिटेड, एनआरओ

मोबाइल: 9990673698

ई-मेल: nroopn10@mstcindia.in

- (ii) श्रीमती रूपाली पाण्डेय, डेप्युटी मैनेजर, एमएसटीसी लिमिटेडम, एनआरओ
मोबाइल: 9458704037
ई-मेल: nroopn11@mstcindia.in
- (iii) श्री मनोज पाण्डेय, डेप्युटी मैनेजर, एमएसटीसी लिमिटेड, एनआरओ
मोबाइल: 9727700986
ई-मेल: nroopn8@mstcindia.in

पता	ई-मेल आईडी	संपर्क
30/31ए जीवन विलास बिल्डिंग, प्रथम तल, आसफ आली रोड (हमदर्द के सामने), नई दिल्ली - 110 002	mstcnro@mstcindia.in	(011) 23212357, (011) 23215163, (011) 23217850

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली की ओर से संपर्क हेतु व्यक्ति का नाम


i. श्री धर्मेन्द्र आज़ाद, सहायक महाप्रबंधक
दूरभाष: 011-23452114
ईमेल आईडी: bookingnewdelhi@rbi.org.in

ii. श्री प्रेम प्रकाश, सहायक प्रबंधक
दूरभाष: 011-23452318
ईमेल आईडी: bookingnewdelhi@rbi.org.in

आवेदन प्रक्रिया के लिए सहायिका-

1.सिस्टम आवश्यकताएँ:

विवरण के लिए, वेंडर <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकता है।



2. लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:

वेंडर अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के लिए "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके/"इवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क भुगतान" विकल्प के माध्यम से एमएसटीसी को लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। बोलीदाता/सेवा प्रदाता/संविदाकार/वेंडर को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/संविदाकार/वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेंगे। सेवा प्रदाता/संविदाकार/वेंडर चालान पर छपे विवरण के अनुसार, उसमें कोई बदलाव किए बिना, लेनदेन शुल्क की राशि जमा करेंगे। ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चुनने पर, सेवा प्रदाता/संविदाकार/वेंडर को अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में भुगतान जमा होने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा।

लेन-देन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुँच नहीं मिलेगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें, ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. वेंडरों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ वेंडर के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल-आईडी वैध और अद्यतन है। वेंडरों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने वर्ग III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

4. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

5. ई-निविदा में बोली

नोट: वेंडरों को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए "मेरा" मेनू में "दस्तावेज़ अपलोड करें" लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एक दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर संबंधित ई-निविदा के साथ "दस्तावेज़ संलग्न करें" लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदा के साथ संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें RBI द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा और यह माना जाएगा कि वेंडर ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

क) बोलीदाताओं को ई-निविदा के लिए आवश्यक अग्रिम राशि (ईएमडी), ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है, तो वह वापस नहीं किया जाएगा। अग्रिम राशि (ईएमडी) पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की अग्रिम राशि आरबीआई द्वारा वापस कर दी जाएगी।

ख) इस प्रक्रिया में टेक्नो कमर्शियल बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्चोरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क-> सामान्य शर्तें-> दस्तावेज संलग्न करें-> मूल्य बोली पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी टेक्नो कमर्शियल बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और अग्रिम राशि (ईएमडी) का विवरण सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, वेंडर अपने लॉगिन में दस्तावेज संलग्न करें और "सामान्य शर्तें" टैब सक्षम कर देंगे। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, वेंडर लॉट की विशिष्ट शर्तों को सहेज सकेंगे और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा कर सकेंगे या मूल्य बोली जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे। यदि "दस्तावेज संलग्न करें" और/या "सामान्य शर्तें" सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट की विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के टैब अक्षम कर दिए जाएंगे। बोली स्थिति बटन में यह स्थिति प्रदर्शित होगी कि यह सफल है या लंबित।

- ग) सबसे पहले, वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश (यदि कोई हो) भरकर उसे सेव करना होगा। फिर वेंडर को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी होगी। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद, "प्राइस बिड" लिंक सक्रिय हो जाएगा और उसे भरकर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। फिर, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएँ" विकल्प दिखाई देगा। यदि वेंडर अंतिम सबमिशन के बाद बोली हटाकर उसे दोबारा सबमिट करना चाहता है, तो उसे "बोली हटाएँ" पर क्लिक करके उसे दोबारा सबमिट करना होगा और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना होगा।

- घ) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- ङ) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- च) ई-निविदा मंच पूर्व घोषित तिथि और समय से तथा ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।
- छ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा उसे स्वीकार करने पर क्रेता और बोलीदाता के बीच आपूर्ति/कार्य के निष्पादन हेतु एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा। ऐसे सफल बोलीदाता को आगे से आपूर्तिकर्ता/संविदाकार कहा जाएगा।
- ज) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- झ) क्रेता बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द या अस्वीकार या स्वीकार या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ञ) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा प्रक्रिया में बोली प्रस्तुत करना, ई-निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

ट) माप की इकाई (यूओएम) ई-टेंडर फ्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-टेंडर फ्लोर/टेंडर दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

खंड III - बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और निर्देश

खंड III (ए) – बोलीदाताओं को सामान्य अनुदेश

1.	तीन बोलियों में / दो बोली प्रणाली शामिल है i. निविदा तीन ई-कवरों में है: पहले ई-कवर में अग्रिम राशि जमा करने का प्रमाण, दूसरे ई-कवर में विधिवत भरा हुआ निविदा भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली), पूर्ण पात्रता मानदंड, विवरण आदि और तीसरे ई-कवर में विधिवत भरा हुआ निविदा भाग II (मूल्य बोली) होगा। बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ (तीनों ई-कवर) एमएसटीसी पोर्टल पर वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करनी होंगी। ii. "ई-निविदा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश" (खंड II) के अंतर्गत ऊपर दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियाँ तैयार करने और एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सहायता के लिए हैं। उपरोक्तानुसार विधिवत भरी हुई निविदाएँ, निविदा प्राप्ति की तिथि और समय (जैसा कि ई-निविदा की एनआईटी/अनुसूची में निर्दिष्ट है) से पहले एमएसटीसी पोर्टल पर प्रस्तुत की जा सकती हैं।
2.	परिभाषाएँ खंड IV (बी) के क्लॉज़ 1 में परिभाषाओं का विवरण दिया गया है जो संपूर्ण निविदा दस्तावेज पर लागू होंगी।
3.	निविदा के भाग II के उद्घाटन के लिए बोलीदाताओं की शॉर्टलिस्टिंग खंड III(बी) में दी गई पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीदाताओं के भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) का मूल्यांकन खंड III(सी) में दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। केवल भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाता ही तीसरे ई-कवर, अर्थात् भाग-II (मूल्य बोली) खोलने के पात्र होंगे।
4.	स्पष्टीकरण और बोली-पूर्व बैठक i. इस दस्तावेज़ के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले बोलीदाताओं को इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ईमेल पते पर बैंक से लिखित रूप से संपर्क करना चाहिए या बोली-पूर्व बैठक के दौरान प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न बोली-पूर्व बैठक शुरू होने से पहले भेजे जाने चाहिए। ii. बोलीदाताओं के नामित प्रतिनिधियों को एसओटी में उल्लिखित तिथि पर बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस स्तर पर उठाए जा सकने वाले प्रश्नों के उत्तर देना होगा। बोली-पूर्व बैठक में अनुपस्थिति किसी बोलीदाता की अयोग्यता का कारण नहीं होगी। हालाँकि, बोली-पूर्व बैठक के बाद निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।

	<p>iii. बोली-पूर्व बैठक का विवरण केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी पर प्रकाशित किया जाएगा और यह सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। किसी भी विचलन/शर्त के साथ प्राप्त कोई भी निविदा अस्वीकार की जा सकती है।</p>
5.	<p>स्थल यात्रा (साइट विजिट)</p> <p>बोलीदाता को इस दस्तावेज़ {खंड-IV (ए)} में दर्शाए अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में खानपान सेवाएं और अधिकारी लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) का रखरखाव प्रदान करना आवश्यक है और उसे सलाह दी जाती है कि वह साइट पर जाकर वहां की स्थितियों से स्वयं को परिचित कर ले। दौरे का खर्च बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले सभी परिसरों का दौरा कर लिया है और उसे परिचालन और साइट की स्थिति की जानकारी है।</p>
6.	<p>निविदा दस्तावेज़ में संशोधन</p> <p>(i) निविदा/बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, बैंक किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या किसी संभावित बोलीदाता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के जवाब में, निविदा दस्तावेज के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है और उसे आरबीआई की वेबसाइट (https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx) पर अपलोड किया जाएगा।</p> <p>(ii) परिशिष्ट/शुद्धिपत्र के रूप में उक्त संशोधन सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा। यदि कोई परिशिष्ट जारी किया जाता है, तो वह संविदा दस्तावेज़ का हिस्सा होगा।</p> <p>(iii) ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेकानुसार बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।</p>
7.	<p>विवर्जन</p> <p>बोलीदाता को निम्नलिखित आधारों पर बोली लगाने से विवर्जित किया/अयोग्य ठहराया जा सकता है:</p> <p>(1) यदि यह निर्धारित किया जाता है कि बोलीदाता ने सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्य या चूक की है:</p> <p>(i)</p> <p>क) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या खरीद प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ का प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति करना।</p> <p>ख) कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या किसी दायित्व से बचा जा सके।</p> <p>ग) कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और खरीद प्रक्रिया की प्रगति को नुकसान पहुंचा सकता है।</p>

	<p>घ) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के इरादे से खरीदकर्ता इकाई द्वारा बोलीदाता को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।</p> <p>ङ) बोलीदाता और क्रयकर्ता इकाई के किसी अधिकारी के बीच निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन: जो क्रयकर्ता इकाई के निर्णय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।</p> <p>च) खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव या धमकी।</p> <p>छ) किसी खरीद प्रक्रिया की जांच या लेखा परीक्षा में बाधा डालना।</p> <p>ज) किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध हासिल करने के लिए झूठी घोषणाएं करना या गलत जानकारी प्रदान करना;</p> <p>(ii) हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल।</p> <p>(iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन या किसी सार्वजनिक खरीद संस्थान/इकाई द्वारा प्रतिबंधित किए जाने का खुलासा करने में विफल रहा हो।</p>
(2)	<p>बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा अन्य कोई भी कार्य या चूक, जो बैंक की राय में, घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करने, कार्यों को छोड़ देने, कार्यों की घटिया गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन न करने आदि जैसे कारणों से बैंक द्वारा रोक लगाई जा सकती है।</p>
(3)	<p>यदि बोलीदाता को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है - (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या (ख) भारतीय दंड संहिता / भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, सार्वजनिक खरीद अनुबंध के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या संपत्ति की कोई हानि या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए।</p>
<p>बोलीदाता को अनुलग्नक V में दिए गए प्रारूप में एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।</p>	
8.	<p>बोली से संबंधित दस्तावेज़</p> <p>निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>पहला ई-कवर (केवल ऑनलाइन सबमिशन) –</p> <p>(i) ई-निविदा की एनआईटी/अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार प्रस्तुत बयाना राशि (ईएमडी) का विवरण।</p> <p>दूसरा ई-कवर अर्थात भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) - (केवल ऑनलाइन प्रस्तुति)</p> <p>खंड III(डी) में निर्दिष्ट चेकलिस्ट।</p>

	<p>निविदा/बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी (अनुलग्नक-III में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार)।</p> <p>विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:</p> <p>(क) भाग I: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली अर्थात् संपूर्ण निविदा दस्तावेज़ (भाग-II को छोड़कर) विधिवत हस्ताक्षरित। निविदा दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।</p> <p>प्रत्येक दस्तावेज़/प्रारूप/अनुलग्नक में दिए गए अनुसार विधिवत भरा, हस्ताक्षरित और प्रमाणित किया जाएगा।</p> <p>तीसरा ई-कवर अर्थात् भाग-II (मूल्य बोली) (केवल ऑनलाइन प्रस्तुति)</p> <p>भाग-II (मूल्य बोली) को वैध डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>
9.	<p>बोली की तैयारी और बोली की लागत</p> <p>i. बोलीदाता को स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर तथा अपने खर्च पर वह सभी सूचनाएं प्राप्त करनी होंगी जो निविदा तैयार करने तथा अनुबंध करने के लिए आवश्यक हों तथा उसे कार्य स्थल का निरीक्षण करना होगा तथा सभी स्थानीय स्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति तथा उससे संबंधित सभी मामलों से स्वयं को परिचित करना होगा।</p> <p>ii. यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने कार्य और कार्यस्थल की स्थितियों, जिसमें श्रम, बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और निर्देश, अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें शामिल हैं, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और निविदा में उद्धृत दरों पर पहुँचने के लिए स्वयं जाँच-पड़ताल की है। इस संबंध में, उसे बैंक के पास उपलब्ध आवश्यक जानकारी दी जाएगी, लेकिन उसकी पर्याप्तता और सटीकता की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।</p> <p>iii. बोलियाँ और उनके साथ संलग्न सभी दस्तावेज़ अंग्रेज़ी या हिंदी में होंगी। दस्तावेज़ों के अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करण में किसी भी प्रकार की विसंगति या अस्पष्टता होने पर, व्याख्या के मामले में अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।</p>
10.	<p>प्रयोग किया जाने वाला प्रोफार्मा</p> <p>बोलीदाता को बैंक द्वारा जारी निविदा प्रपत्र/प्रारूप को भरना, हस्ताक्षर करना तथा एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसमें वह कार्य करने के लिए तैयार वे निविदाएँ, जिनमें निविदा आमंत्रण प्रपत्र में निर्दिष्ट कार्य में, या कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय में, कोई परिवर्तन प्रस्तावित हो, या जिनमें सशर्त छूट सहित किसी भी प्रकार की कोई अन्य शर्तें शामिल हों, अस्वीकार की जा सकती हैं। सभी आवश्यक जानकारी, दस्तावेज़ आदि केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ही अपलोड किए जाएंगे।</p>
11.	<p>दरें भरना</p> <p>i. प्रत्येक मद के लिए राशि की गणना की जानी चाहिए तथा अपेक्षित योग निर्दिष्ट कॉलम में दिया जाना चाहिए।</p>

	<p>ii. यदि किसी भी मद के लिए कोई दर उद्धृत नहीं की गई है, आंकड़े में स्थान छोड़ दिया गया है, तथा राशि रिक्त है, तो निविदा को अपूर्ण माना जाएगा तथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>iii. निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।</p>
12.	<p>बयाना जमा राशि</p> <p>i. बोलीदाताओं को ₹3,40,000/- (केवल तीन लाख चालीस हजार रुपये) की बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करनी होगी और इसके जमा करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर निविदा के पहले ई-कवर में अपलोड करना होगा।</p> <p>ii. ईएमडी केवल निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से जमा किया जाना है –</p> <p>क) एनईएफटी के माध्यम से निम्नलिखित खाते में (अधिमानत): लाभार्थी: भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली खाता सं.: 06869229904 आईएफ़एससी: RBIS0NDPA01 (कृपया आईएफ़एससी के 5वें और 10वें अक्षर को शून्य पढ़ें) टिप्पणी में बोलीदाता का नाम और निविदा संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।</p> <p>ख) भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से</p> <p>ग) अनुलग्नक VII के अनुसार अनुसूचित बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक गारंटी के माध्यम से (बैंक गारंटी की वैधता इस खंड III (ए) के क्लॉज़ 19 के अनुसार कम से कम निविदा की वैधता तक होगी)।</p> <p>iii. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी के रूप में ईएमडी मूल रूप से सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक), मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को एनआईटी/एसओटी में दी गई ईएमडी जमा करने की नियत तारीख को या उससे पहले जमा की जानी चाहिए।</p> <p>iv. किसी भी परिस्थिति में ऊपर निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य रूप में ईएमडी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा, बैंक के किसी अन्य कार्यालय के खाते में जमा की गई ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी की स्कैन की गई प्रति, जमा करने के प्रमाण के रूप में, पहले ई-कवर में अपलोड करनी होगी।</p> <p>v. केवल उन्हीं बोलीदाताओं के दूसरे ई-कवर, अर्थात् भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) को खोलने पर विचार किया जाएगा जिन्होंने नियत तिथि तक या उससे पहले ईएमडी जमा कर दी हो। ईएमडी जमा करने का प्रमाण पहले ई-कवर में अपलोड किया जाना चाहिए।</p>

	<p>vi. ईएमडी जारी करना: सफल बोलीदाताओं के अलावा अन्य बोलीदाताओं की बयाना राशि, बोली की वैधता (विस्तारित वैधता सहित) की समाप्ति पर, खंड III(a) के क्लॉज़ 19 के अनुसार या सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने पर, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता/बोलीदाताओं के मामले में, ईएमडी को सुरक्षा जमा के रूप में रखा जाएगा। संविदा की समाप्ति या उसकी अवधि पूरी होने के 3 महीने बाद, और ठेकेदारों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद कि बैंक के पास उनके किसी भी बिल का भुगतान लंबित नहीं है, सूचीबद्ध ठेकेदारों को सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी। यदि ईएमडी बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाती है, तो ऐसी बैंक गारंटी (बीजी) की वैधता को संविदा की समाप्ति तिथि के बाद तीन महीने की अवधि तक प्रभावी रहने के लिए बढ़ाया जाएगा। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और संविदाकार के विरुद्ध बैंक के किसी भी दावे (यदि कोई हो) की कटौती के बाद इसे वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>vii. ईएमडी को जब्त किया जाना: ईएमडी ज़ब्त कर ली जाएगी, यदि (a) यदि बोली लगाने वाला मूल्य बोली खुलने के बाद अपनी बोली वापस ले लेता है, या (b) यदि सफल बोली लगाने वाला/वाले, उसे/उन्हें सौंपे गए काम को निर्धारित समय सीमा के भीतर शुरू करने में विफल रहता है/रहते हैं, या (c) यदि वह करार पर हस्ताक्षर करने या बीजी जमा करने में विफल रहता है।</p>
13.	<p>बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता पर वचनबद्धता</p> <p>बोलीदाता को यह आश्वासन देना होगा कि किसी भी कानूनी क्षेत्राधिकार में किसी भी कारण से उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यदि ऐसी कोई कार्रवाई होती है और बोलीदाता का मानना है कि इससे निविदा दस्तावेज़ के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने की उसकी क्षमता प्रभावित नहीं होती है, तो उसे कार्रवाई का विवरण प्रदान करना होगा। बोलीदाता को उन कार्यों का विवरण भी प्रदान करना होगा जहाँ सिविल मुकदमा/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता मामले शुरू किए गए थे/हैं। बोलीदाता को उपरोक्त विवरण <i>अनुलग्नक VI</i> में दिए गए प्रपत्र के अनुसार देना होगा।</p>
14.	<p>बोली पर हस्ताक्षर, पावर ऑफ अटॉर्नी</p> <p>i. बोलीदाताओं को निविदा के भाग-I के साथ, बोली दस्तावेज़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में, उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर, विधिवत नोटरीकृत, एक मुख्तारनामा ऑनलाइन जमा करना होगा, जिसमें उसे बोली दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने, उनमें सुधार/संशोधन करने, बैंक से संपर्क करने और संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। मुख्तारनामा का प्रारूप <i>अनुबंध III</i> के अनुसार होगा।</p> <p>ii. प्रत्येक निविदा दस्तावेज़ पर निविदा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, जो इस बात का प्रतीक हो कि वह बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियमों और अनुदेशों से परिचित है, जिसमें पात्रता मानदंड, अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें, तथा अन्य नियम व शर्तें आदि शामिल हैं।</p>

15.	बोलियों का आशोधन / प्रतिस्थापन / वापसी
	एनआईटी/एसओटी में निर्दिष्ट निविदा प्रस्तुत करने की नियत तिथि और समय के बाद प्रस्तुत बोली में कोई संशोधन या प्रतिस्थापन या वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
16.	बोली की नियत तिथि
	बोलियाँ एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन एनआईटी/ई-निविदा अनुसूची में निर्दिष्ट निर्धारित समय और तिथि तक या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। बैंक, असाधारण परिस्थितियों में, अपने विवेकानुसार, बोली की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।
17.	देर से बोलियां
	एनआईटी/ई-निविदा की अनुसूची में बोलियां प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि और समय के बाद या विस्तारित बोली नियत तिथि, यदि कोई हो, के बाद कोई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
18.	बोलियों का खुलना
	i. विधिवत भरा हुआ पहला ई-कवर, दूसरा ई-कवर अर्थात निविदा का भाग-1 (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली), ई-निविदा की एनआईटी/अनुसूची में निर्दिष्ट समय और तारीख को एमएसटीसी पोर्टल पर बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उपस्थित रहना चाहते हैं।
	ii. तीसरा ई-कवर अर्थात भाग II (मूल्य बोली) केवल उन बोलीदाताओं का होगा जो भाग-1 (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में अर्हता प्राप्त करेंगे, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद अगली तारीख को खोला जाएगा और इसकी सूचना योग्य बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।
19.	बोली की वैधता
	निविदा, निविदा (भाग-1) खुलने की तिथि से तीन माह (90 दिन) की अवधि तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी, जिसकी अवधि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है, तथा बोलीदाता/बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकेंगे।
20.	बोलियों का मूल्यांकन
	बैंक, खंड III। के खंडों के अनुसार बोलियों की जांच और मूल्यांकन करेगा।
21.	निविदा की स्वीकृति और कार्य का अवार्ड
	(i). निविदा की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता अनुबंध को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा और कार्य आदेश जारी होने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता निम्नलिखित अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा: - (क) दिल्ली/नई दिल्ली में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर/पेपरों पर अनुबंध IX में निर्धारित प्रारूप में (द्विभाषी रूप में हस्ताक्षरित) करार की शर्तें। स्टाम्प पेपर/पेपरों की लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी। अनुबंध की एक प्रमाणित प्रति बैंक द्वारा संविदाकार को सौंपी जाएगी।

	<p>(ख) निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा आमंत्रण के समय जारी किए गए निविदा से संबंधित सभी दस्तावेज, जारी किया गया शुद्धिपत्र (यदि कोई हो), बोली-पूर्व बैठक और उसकी स्वीकृति के कार्यवृत्त तथा उससे संबंधित अन्य पत्राचार।</p> <p>(ii) सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने तक किए गए कार्य का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए, अनुबंध प्रारूप (द्विभाषी रूप में हस्ताक्षरित) पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले भुगतान के लिए पहला बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p> <p>(iii) इसके अलावा, बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति बैंक और सफल बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक समझौता बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं।</p> <p>(iv) सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने की अधिसूचना के पांच दिन के भीतर या बैंक द्वारा निर्धारित समय के बाद सम्पूर्ण कार्य अपने हाथ में लेना होगा।</p>
22.	<p>कर / शुल्क / लेवी</p> <p>i. अनुमानित लागत में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित सभी कर शामिल हैं।</p> <p>ii. मूल्य बोली में उद्धृत राशि में माल एवं सेवा कर, शुल्क, लेवी और रॉयल्टी या केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य कर सहित सभी कर शामिल होंगे।</p>
23.	<p>किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार</p> <p>i. उपर्युक्त किसी भी बात के होते हुए भी, बैंक अनुबंध प्रदान किए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं पर कोई दायित्व नहीं होगा। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।</p> <p>ii. जो निविदाएँ केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और/या किसी अन्य श्रम कानून के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अमान्य माना जाएगा।</p>
24.	<p>भूमि सीमा खंड -</p> <p>भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.सं. 6/18/2019-पीपीडी के माध्यम से सम्मिलित जीएफआर 2017 के नियम 144(xi) का अनुपालन, इसके लिए जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश और उनके बाद के संशोधन अनिवार्य होंगे।</p> <p>इस संबंध में, बोलीदाता को अपने लेटरहेड पर (अनुलग्नक-X) में दिए गए प्रारूप के अनुसार अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो कार्य आदेश तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा और बयाना राशि/सुरक्षा राशि जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और बैंक बोलीदाता को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से भी रोक सकता है।</p>

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी अनुदेशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

खंड-III (बी) पात्रता मापदंड

वर्तमान निविदा भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) के रखरखाव और खानपान सेवाएँ प्रदान करने के लिए आमंत्रित की जा रही है, जिसके अंतर्गत आउटसोर्सिंग एजेंसी (जिसे आगे "बोलीदाता" कहा जाएगा) इस दस्तावेज़ में दर्शाए अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) के रखरखाव और खानपान सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे:

मापदंड	आवश्यकता	प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म/ दस्तावेज़
1. फर्म/संगठन की संरचना :	बोलीदाता एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड या सहकारी संस्था आदि हो सकता है। फर्म/संगठन के पंजीकरण का विवरण, पंजीकरण प्राधिकारी का नाम, दिनांक और पंजीकरण संख्या आदि प्रस्तुत करना होगा। संयुक्त उद्यम की अनुमति नहीं है।	निविदाकर्ता को संलग्न प्रारूप 1 में जानकारी भरनी होगी तथा निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। (i) पंजीकरण प्रमाणपत्र/ज्ञापन/संस्था के अनुच्छेद/निगमन प्रमाणपत्र/साझेदारी विलेख/अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़/दस्तावेजों की प्रति (ii) अनुलग्नक III में पावर ऑफ अटॉर्नी (उचित मूल्य के गैर-न्यायिक पेपर)
2. पिछले अनुभव की अवधि	(i) बोली लगाने वाले के पास 30 अप्रैल, 2026 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान संतोषजनक समान कार्य / सेवाएँ* प्रदान करने का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। स्पष्टीकरण: बोली लगाने वाले के पास 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक समान कार्य / सेवा* को निष्पादित करने का अनुभव होना चाहिए।	(i) बोली लगाने वाले को इसके साथ संलग्न प्रोफॉर्म 2 में जानकारी भरनी चाहिए, जिसमें क्लाइंट-वार समान कार्य / सेवाओं* के नाम, उनकी वास्तविक लागत, अनुबंध में निर्धारित पूर्ण होने की तिथि और पूर्ण होने की वास्तविक तिथि आदि का उल्लेख हो। साथ ही, उसे पूर्ण किए गए समान कार्य / सेवाओं* में कम से कम पाँच वर्षों के अनुभव के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य भी जमा करने चाहिए; जैसे कि विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियाँ (जिनमें कार्य सौंपे जाने की तिथि, अनुबंध राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि का उल्लेख हो) और संबंधित पूर्णता प्रमाण

		<p>पत्र (जिनमें पूर्ण होने की वास्तविक तिथि और निष्पादित समान कार्य / सेवाओं का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो)। ये प्रमाण पत्र सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए कार्य हेतु संबंधित क्लाइंट द्वारा जारी किए गए होने चाहिए; और निजी कंपनियों के लिए किए गए कार्य हेतु कार्य आदेश, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र तथा स्रोत पर कर कटौती (TDS) प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ संबंधित क्लाइंट द्वारा जारी की गई होनी चाहिए।</p> <p>(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय में कार्य करने के पिछले अनुभव (यदि कोई हो) का विवरण, दस्तावेज़ी साक्ष्य सहित, भी दिया जाए।</p>
<p>3. कारों की संख्या और स्थिति</p>	<p>निविदाकर्ता के पास कम से कम 25 (पच्चीस) स्वामित्व वाली कारें होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित कारें शामिल हों:</p> <p>मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, होंडा सिटी, ह्युंडई वरना, मारुति सुजुकी सियाज़, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/टोयोटा इनोवा हार्डक्रॉस/ मारुति सुजुकी इन्विक्टो। कुल कारों में से, टेंडर देने वाले के पास में कम से कम 10 होंडा सिटी/ मारुति सुजुकी सियाज़/ ह्युंडई वरना और 10 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/ टोयोटा इनोवा हार्डक्रॉस/ मारुति सुजुकी इन्विक्टो होनी चाहिए।</p> <p>ii) आरबीआई को उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन, ड्यूटी की तारीख को 3 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।</p> <p>iii) वाहनों के पास स्थानीय और बाहरी यात्राओं के लिए वैध 'अखिल भारतीय टैक्सी परमिट' और अन्य सभी वैधानिक अनुमतियाँ होनी चाहिए।</p>	<p>i) सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/बुक्स की प्रतियां संलग्न करें।</p> <p>ii) कार आरटीओ में कमर्शियल वाहन के तौर पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए।</p> <p>iii) सभी वाहनों के टैक्सी परमिट की प्रतियां संलग्न करें।</p> <p>iv) पीयूसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन की व्यापक बीमा पॉलिसी की प्रतियां संलग्न करें।</p>

	iv) सभी वाहनों के पास वैध पीयूसी, फिटनेस प्रमाण पत्र और व्यापक वाहन बीमा पॉलिसी होनी चाहिए।	
4. प्रत्येक पूर्ण किए गए समान कार्य / सेवाओं का न्यूनतम मूल्य*	<p>बोली लगाने वाले के पास 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान, नीचे बताए गए मूल्य के समान कार्य/सेवाएँ* सफलतापूर्वक प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए:</p> <p>(क) तीन एक जैसे पूरे किए गए कार्य / सेवा, जिनमें से हर एक की कीमत निविदा की अनुमानित सालाना लागत के 40% के बराबर हो।</p> <p>या</p> <p>(ख) दो समान पूर्ण कार्य/सेवाएँ, जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा की अनुमानित वार्षिक लागत के 50% के बराबर राशि से कम न हो।</p> <p>(ग) एक ऐसा ही पूरा किया गया कार्य/सेवा, जिसकी लागत निविदा की अनुमानित वार्षिक लागत के 80% के बराबर राशि से कम न हो।</p>	<p>निविदाकर्ता को इसके साथ संलग्न फ़ॉर्म 3 में जानकारी भरनी चाहिए, और इसी तरह के कार्य/कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रमाण के रूप में, इसे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा करना चाहिए।</p> <p>(i) पात्र कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियाँ, जिनमें कार्य सौंपने की तारीख, अनुबंध राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि का उल्लेख हो; और साथ ही संबंधित समापन प्रमाण पत्र, जिनमें कार्य पूरा होने की वास्तविक तारीख और निष्पादित किए गए समान कार्यों/सेवाओं का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो। यदि कार्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए हैं, तो ये प्रमाण पत्र संबंधित क्लाइंट द्वारा जारी किए गए होने चाहिए; और यदि कार्य निजी कंपनियों के लिए किए गए हैं, तो कार्य आदेश, कार्य समापन प्रमाण पत्र के साथ-साथ क्लाइंट द्वारा जारी किए गए 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ भी संलग्न होनी चाहिए।</p> <p>ii. हर योग्य कार्य के लिए क्लाइंट सर्టిफ़िकेट, जैसा कि इसके साथ संलग्न फ़ॉर्म 3A में दिया गया है। बोली लगाने वालों के लिए यह ज़रूरी है कि उनका अपने पिछले और मौजूदा क्लाइंट्स के साथ प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो। अगर किसी बोली लगाने वाले को संबंधित क्लाइंट्स द्वारा क्लाइंट सर्టిफ़िकेट में बताए गए किसी भी पैरामीटर पर 'असंतोषजनक' या 'खराब' रेटिंग दी गई है, तो बैंक को यह अधिकार है कि वह ऐसी बोलियों को पात्रता</p>

		<p>शर्तों का पालन न करने वाली मानकर अस्वीकार कर दे।</p> <p>इसके अलावा, यदि बोली लगाने वाले ने पूर्व में आरबीआई के किसी कार्यालय में सेवा दी है या आरबीआई के किसी कार्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, तो बोली लगाने वाले के लिए उस क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान से 'क्लाइंट सर्टिफिकेट' जमा करना अनिवार्य होगा।</p>
5. वार्षिक वित्तीय कारोबार	<p>बोलीदाता के पास पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2022-23 और 2023-24 और 2024-25 के दौरान इस निविदा की अनुमानित वार्षिक लागत का न्यूनतम वार्षिक वित्तीय कारोबार या उससे अधिक होना चाहिए।</p>	<p>बोलीदाता को संलग्न प्रारूप 4 में जानकारी भरनी होगी तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कराकर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा:</p> <p>(i) बोलीदाता के व्यवसाय के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/खातों की प्रतियां, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित हों तथा प्रारूप 4 में निर्दिष्ट वित्तीय वर्षों की संख्या के लिए टर्नओवर दर्शाती हों।</p> <p>(ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2022-23 और 2023-24 और 2024-25 के आयकर रिटर्न की प्रतियां।</p>
6. सॉल्वेंसी	<p>बोलीदाताओं की सॉल्वेंसी का मूल्य निविदा की अनुमानित वार्षिक लागत के 100% से कम नहीं होना चाहिए।</p>	<p>(i) बोलीदाता को बोलीदाता के बैंकर द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रारूप 5 में 01 जनवरी, 2026 से पहले प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(ii) बोलीदाता को अपने बैंकर का विवरण प्रारूप 5ए में प्रस्तुत करना होगा।</p>
7. पंजीकरण	<p>बोलीदाता के पास पैन, टीआईएन, जीएसटीआईएन होना चाहिए।</p>	<p>बोलीदाता को पैन, टीआईएन और जीएसटीआईएन प्रस्तुत करना होगा।</p>
8. कम से कम एक वर्ष की स्थानीय उपस्थिति	<p>बोलीदाता के पास दिल्ली/ गुरुग्राम/ नोएडा में स्वयं का एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए।</p>	<p>बोलीदाता को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/ गुरुग्राम/ नोएडा में कार्यालय होने के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।</p>

नोट:

"समान कार्य / सेवाएँ" का अर्थ कार किराए पर लेने की सेवाएँ होंगी। मानदंड 4 के संबंध में, यदि 1 वर्ष से अधिक अवधि का कार्य आदेश प्रस्तुत किया जाता है, तो पात्रता निर्धारित करने के लिए कार्य आदेश के आनुपातिक वार्षिक मूल्य पर विचार किया जाएगा। बशर्ते कि, यदि "समान कार्य / सेवाएँ" की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इस मामले में अंतिम निर्णय बैंक का होगा।

(i) सहायक दस्तावेजी प्रमाणों (निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों) के बिना प्राप्त बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बैंक को जब भी आवश्यक समझा जाए, उक्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने/सत्यापन कराने का अधिकार होगा।

(ii) बैंक, यदि चाहे तो, योग्य कार्य/कार्यों के लिए ग्राहकों से निष्पादन रिपोर्ट और बोलीदाताओं की बैंकर रिपोर्ट सीधे प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक स्वयं भी बोलीदाता द्वारा अपनी बोली में उल्लिखित अर्ह/योग्य कार्यों का निरीक्षण कर सकता है।

(iii) यदि कोई बोलीदाता पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता पाया जाता है तो उसे निविदा की आगे की प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(iv) झूठी और/या अपूर्ण जानकारी वाली बोलियां अस्वीकृत/भविष्य की निविदा से प्रतिबंधित आदि की जा सकती हैं।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी अनुदेशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/ पदनाम और मुहर के साथ)

खंड III (सी) – बोलियों का मूल्यांकन

1. दूसरे ई-कवर अर्थात् भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) को खोलने के बाद, खंड III (बी) में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर केवल उन्हीं बोलीदाताओं की निविदाओं का मूल्यांकन किया जाएगा जिन्होंने नियत तिथि तक या उससे पहले अग्रिम राशि जमा कर दी हो। अग्रिम राशि जमा करने का प्रमाण पहले ई-कवर में अपलोड किया जाना चाहिए।
2. बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज़ दूसरे ई-कवर, अर्थात् भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में प्रस्तुत करने होंगे। केवल उन्हीं निविदाओं पर आगे कार्रवाई की जाएगी जो पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। प्रस्तुत की गई जानकारी और सहायक दस्तावेज़ों की सत्यता/वैधता और पर्याप्तता का सत्यापन/परीक्षण बैंक द्वारा किया जाएगा।
3. अयोग्य बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां नहीं खोली जाएंगी, तथा इस संबंध में सूचना भेजी जाएगी।
4. बोलियों की जाँच, मूल्यांकन और तुलना में सहायता के लिए, बैंक बोलीदाताओं से व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण, जो बैंक को स्वीकार्य न हो, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा स्पष्टीकरण का अनुरोध और उसका उत्तर लिखित/ईमेल द्वारा दिया जाएगा। इस संबंध में यदि कोई सूचना दी जाए, तो केवल ई-मेल आईडी 'gpcnewdelhi@rbi.org.in' और bookingnewdelhi@rbi.org.in पर ही भेजी जाएगी। निविदा प्रावधानों के अनुसार बोलियों के मूल्यांकन के दौरान अपेक्षित होने के अलावा, बोली के मूल्य या सार में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, न ही प्रस्तावित किया जाएगा, और न ही अनुमति दी जाएगी।
5. यदि कोई बोलीदाता बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
6. उन सभी बोलीदाताओं का तीसरा ई-कवर, यानी भाग II (मूल्य बोली), जो भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में योग्य पाए गए थे, वित्तीय मूल्यांकन के लिए खोला जाएगा। प्रत्येक वाहन और उसकी श्रेणी के लिए बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित/उद्धृत न्यूनतम दरें - जिनका विश्लेषण सबसे कम बोलियों (बेंचमार्क दरों से अधिक या उनके बराबर) के रूप में किया गया है - स्वीकृति हेतु अन्य सभी पात्र बोलीदाताओं को प्रस्तावित की जाएंगी। ऊपर बताए गए बोलीदाताओं में से सिर्फ़ उन्हीं को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जो हर तरह के वाहन के लिए बैंक द्वारा तय की गई दरों पर काम करने के लिए लिखित में राज़ी होंगे। हालाँकि, हर तरह के वाहन के लिए तय बेंचमार्क दरों से कम बताई गई दरों पर विचार नहीं किया जाएगा, और जिस निविदा देने वाले ने किसी खास वाहन के लिए बेंचमार्क दर से कम दर बताई है, वह उस श्रेणी के तहत सेवा देने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
7. बैंक द्वारा तैयार की गई किराया दर तालिका—जो तकनीकी मूल्यांकन में सफल बोलीदाताओं द्वारा बताई गई प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए सबसे कम दरें (जो बेंचमार्क दरों से अधिक या उनके बराबर हों) पर आधारित है—को सभी सफल बोलीदाताओं के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे इसे लिखित रूप में स्वीकार कर सकें। वित्तीय बोली के लिए कोई भी नियम और शर्तें इंगित नहीं की जानी चाहिए; अन्यथा, इसे अमान्य माना जाएगा।

8. हालाँकि, बैंक न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी अनुदेशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/ पदनाम और मुहर के साथ)

खंड III (डी) निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट

एनआईटी/एसओटी में दी गई अंतिम तिथि और समय से पहले स्कैन करके अपलोड किए जाने वाले विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित दस्तावेजों की सूची-

क्र सं	जांचसूची	प्रस्तुत/ प्रस्तुत नहीं किया गया।	टिप्पणी
प्रथम ई-कवर में प्रस्तुत किया जाना है			
1.	बयाना राशि जमा करना (पहले ई-कवर में ईएमडी जमा करने के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें)। नोट: डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी के रूप में ईएमडी मूल रूप से मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 के समग्र (कार्मिक) को एनआईटी/एसओटी में दी गई ईएमडी जमा करने की नियत तारीख को या उससे पहले जमा करनी होगी।		
दूसरे ई-कवर अर्थात भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में प्रस्तुत किया जाना है।			
2.	निविदा के फॉर्म (अनुलग्नक I)		
3.	अनुलग्नक II का प्रारूप 1 (विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर के साथ)		
4.	पंजीकरण प्रमाण पत्र / ज्ञापन / एसोसिएशन के लेख / निगमन का प्रमाण पत्र / साझेदारी विलेख / खंड III (बी) के मद 1 के समर्थन में अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति		
5.	अनुलग्नक III में <u>मुख्तारनामा (₹100/- का गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर)</u>		
6.	जीएसटी पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रति		
7.	पंजीकरण प्रमाणपत्र/बुक्स की स्व-सत्यापित प्रति		
8.	सभी वाहनों के लिए टैक्सी परमिट की स्व-सत्यापित प्रति		
9.	पीयूसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और कम्प्रेहेंसिव वाहन बीमा नीति की स्व-सत्यापित प्रति		
10.	आय कर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति		
11.	अनुलग्नक II का प्रारूप 2: खंड III (बी) के आइटम 2 के अनुसार पिछले अनुभव का प्रमाण		

	(कार्य आदेश, जिसमें अनुबंध की अवधि स्पष्ट रूप से दर्शायी गई हो।)		
12.	<p>खंड III(b) के मद 2 के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज़ –</p> <p>(क) सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए कार्य: विस्तृत कार्य आदेश (Work Order) की प्रतियां, जिनमें कार्य सौंपे जाने की तारीख, संविदा की राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि का उल्लेख हो; और साथ ही संबंधित 'कार्य-समाप्ति प्रमाण पत्र' (Completion Certificate), जिनमें कार्य के वास्तव में पूरा होने की तारीख और किए गए समान कार्यों का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो—ये प्रमाण पत्र संबंधित क्लाइंट (Client) द्वारा जारी किए गए हों।</p> <p>(ख) निजी कंपनियों के लिए किए गए कार्य: कार्य आदेश की प्रतियां, जिनमें काम सौंपे जाने की तारीख, संविदा की राशि, काम पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि का उल्लेख हो; साथ ही, संबंधित कार्य-समाप्ति प्रमाण पत्र और क्लाइंट द्वारा जारी किए गए 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) प्रमाण पत्र।</p> <p>(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय में कार्य करने के पिछले अनुभव (यदि कोई हो) का विवरण, दस्तावेज़ी साक्ष्य सहित, भी दिया जाए।</p>		
13.	<p>अनुलग्नक II का प्रारूप 3: खंड III(बी) के मद 4 के अनुसार अर्ह कार्यों का प्रमाण (कार्य आदेश, कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र, करार की प्रति)</p>		
14.	<p>खंड III(बी) के मद 4 के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज़-</p> <p>(क) सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए कार्य: अर्ह कार्यों के विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां, जिनमें कार्य सौंपे जाने की तारीख, संविदा की राशि, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि का उल्लेख हो; साथ ही संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र, जिनमें कार्य पूरा होने की वास्तविक तारीख और किए गए समान कार्यों का</p>		

	वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो, और जो क्लाइंट द्वारा जारी किए गए हों। (ख) निजी कंपनियों के लिए किए गए कार्य: कार्य आदेश की प्रतियां, जिनमें काम सौंपे जाने की तारीख, संविदा की राशि, काम पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि का उल्लेख हो; साथ ही, संबंधित कार्य-समाप्ति प्रमाण पत्र और क्लाइंट द्वारा जारी किए गए 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) प्रमाण पत्र।		
15.	अनुलग्नक II के प्रारूप 3ए में क्लाइंट प्रमाणपत्र, जैसा कि खंड III(बी) के मद 4 में उल्लिखित है। यदि बोलीदाता ने पूर्व में आरबीआई के किसी कार्यालय में सेवा दी है या आरबीआई के किसी कार्यालय में सेवा प्रदान की है, तो बोलीदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उस क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान से क्लाइंट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।		
16.	<u>अनुलग्नक II का प्रारूप 4</u> बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित		
17.	वित्त वर्ष 2024-25 तक पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न और संविदाकार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खाते चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित हो		
18.	<u>बोलीदाता के बैंक के लेटरहेड में अनुलग्नक II का प्रारूप 5</u>		
19.	<u>अनुलग्नक II के प्रारूप 5ए में बोलीदाता के बैंक का विवरण</u>		
20.	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली को वचन पत्र (<u>अनुलग्नक -IV</u>)		
21.	विवर्जन की घोषणा पर वचन पत्र (अनुलग्नक V में दिए गए प्रारूप में)		
22.	बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता पर हस्ताक्षरित वचन पत्र (<u>अनुलग्नक VI में दिए गए प्रारूप में</u>)		
23.	हस्ताक्षरित और मुहर लगा (भाग-I) निविदा दस्तावेज़		
24.	एनआईटी और निविदा में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज.		
25.	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट {खंड III(d)}		

26.	कोई अन्य जानकारी जो बोलीदाता प्रस्तुत करना चाहता है।		
27.	भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचन / घोषणा / प्रमाण पत्र (अनुलग्नक X में दिए गए प्रारूप में)		

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

खंड IV (ए) – कार्य और सेवाओं का दायरा

1. उद्देश्य: भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली को आधिकारिक उपयोग, प्रशिक्षुओं के परिवहन, आउटबाउंड कार्यक्रमों और बैंक की किसी भी अन्य आवश्यकता के लिए—विभिन्न श्रेणियों के ड्राइवर-युक्त वाहन - जिनमें सेडान, एमयूवी, एसी टेम्पो ट्रेवलर (20-सीटर) और एसी मिनी बसें (40-सीटर) शामिल हैं - उपलब्ध कराना। यह सेवा अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वाहनों की समय पर उपलब्धता, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा, समय की पाबंदी के साथ संचालन, ड्राइवरो का पेशेवर आचरण, वैधानिक आवश्यकताओं का पालन और निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करेगी।

2. आवश्यक कार/ टैक्सी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र	वाहन श्रेणी	बनावट/ मॉडल	न्यूनतम आवश्यक वाहन
1.	सेडान	मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर/ होंडा अमेज़/ हयुंडई औरा	कम-से-कम 25 वाहनों की कुल संख्या का हिस्सा
2.	सेडान	होंडा सिटी/ मारुति सुजुकी सियाज़/ हयुंडई वरना	न्यूनतम 10 वाहन (कम्बाइन्ड)
3.	एमयूवी	टोयोटा इनोवा क्रिस्टा/ टोयोटा इनोवा हार्डक्रॉस/ मारुति सुजुकी इन्विक्टो	न्यूनतम 10 वाहन (कम्बाइन्ड)
4.	सभी श्रेणी (कुल)	उपर्युक्त सभी अनुमोदित मॉडल	न्यूनतम 25 स्वामित्व वाले वाहन
5.	टेम्पो ट्रेवलर	एसी टेम्पो ट्रेवलर (20-सीटर)	जब और जहां आवश्यक
6.	मिनी बस	एसी मिनी बस (40-सीटर)	जब और जहां आवश्यक

3. सामान्य सेवा आवश्यकताएँ (सभी वाहनों के लिए प्रयोज्य)

3.1 वाहन की स्थिति और अतिथियों को वाहन में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ (कार के लिए प्रयोज्य)

(क) ड्यूटी के दिन की स्थिति तक वाहन 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

(ख) हर वाहन जीपीएस-सक्षम, अच्छी तरह से रखा हुआ और साफ़-सुथरी हालत में होना चाहिए।

(ग) सभी वाहन एयर-कंडीशन्ड होने चाहिए।

(घ) कारों और एमयूवी में ज़रूरी सुविधाएँ (कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं)

i. एक अंग्रेज़ी / हिंदी और एक वित्तीय समाचार पत्र

ii. 250 एमएल की चार ब्रांडेड मिनरल वॉटर की बोतलें (बिस्लेरी, किनली, एक्वाफ़िना, या इनके बराबर कोई अन्य स्वीकृत ब्रांड),

iii. केस/पाउच में फेस टिशू पेपर (गीले और सूखे),

iv. छाता और फर्स्ट-एड बॉक्स

v. अग्निशामक यंत्र (Fire-extinguisher),

- vi. सील किए गए पैकेट/कवर में दो डिस्पोजेबल फेस मास्क,
- vii. अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र (कम से कम 70% अल्कोहल),
- viii. यूनिवर्सल मोबाइल चार्जर।
- ix. ऊपर बताई गई सुविधाओं के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(ड) संविदाकार ऐसे वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए जिनके पास वैध टैक्सी परमिट (स्थानीय और अखिल भारतीय) और अन्य सांविधिक स्वीकृतियाँ हों। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि करार की अवधि के दौरान, उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई कारें 'मोटर वाहन अधिनियम, 1988' के तहत पंजीकृत रहें। संविदाकार 'शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट' के तहत पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास टूर और ट्रेवल सेवाएँ संचालित करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए। तैनात किए गए सभी वाहन 'मोटर व्हीकल एक्ट' के तहत पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन होने चाहिए। टैक्सी परमिटों का दस्तावेजी प्रमाण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा माँगे जाने पर, उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

(च) तदर्थ (एड-हॉक) सब-कॉन्ट्रैक्टिंग की अनुमति नहीं है, सिवाय टेम्पो ट्रेवेलर / मिनी बस के, यदि वे स्वयं के स्वामित्व में न हों।

(छ) कोविड-19 महामारी या किसी अन्य सुरक्षा उपायों के संबंध में केंद्र/राज्य सरकारों/प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

(ज) वायु प्रदूषण या किसी अन्य सुरक्षा उपायों के संबंध में राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

(झ) बैंक किसी भी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और संविदाकार ऊपर उल्लिखित शर्तों का पालन न करने के कारण होने वाली किसी भी हानि से बैंक को क्षतिपूर्ति (indemnified) प्रदान करेगा।

3.2 चालकों के लिए आचरण, व्यवहार और अन्य शर्तें

- क) कार ड्राइवर के पास एक तख्ती (प्लेकार्ड) होनी चाहिए जिस पर आगंतुक अतिथि/ बैंक के अधिकारी का विवरण लिखा हो, और उसे मेहमानों को लेने के लिए एयरपोर्ट के निकास द्वार पर मौजूद रहना चाहिए।
- ख) ड्राइवर शारीरिक रूप से स्वस्थ (मेडिकली फिट) और साफ़-सुथरा होना चाहिए, और उसे बैंक के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- ग) ड्राइवर को हमेशा साफ़-सफ़ाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोविड-19 से बचाव के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आम निर्देशों का, और साथ ही बैंक / मेहमान यात्री द्वारा दिए गए सुझावों का भी, ड्राइवर को सख्ती से पालन करना चाहिए; इसमें मास्क पहनना भी शामिल है।
- घ) ड्राइवर के पास एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और उसे मंज़िल तक पहुँचने वाले रास्ते की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे मेहमान से रास्ते के बारे में नहीं पूछना चाहिए। किसी आपात स्थिति में, उसे मोबाइल फ़ोन के नेविगेशन मैप्स ऐप का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। बैंक मोबाइल फ़ोन हैंडसेट या मोबाइल खर्चों के लिए कोई भुगतान नहीं करेगा।

- ड) ड्राइवर को संविदाकार द्वारा दी गई साफ़-सुथरी यूनिफ़ॉर्म पहनकर, तय जगह और समय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा, उसे हर समय विनम्र, शिष्ट और सेवा-भाव वाला होना चाहिए।
- च) मेहमान/उपयोगकर्ता को रिपोर्ट करने के बाद, ड्राइवर को हमेशा कार/बस/टेम्पो के साथ उपलब्ध रहना होगा; साथ ही, ड्राइवर को बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना होगा और सुरक्षा व संरक्षा से जुड़े बैंक के नियमों और विनियमों का भी पालन करना होगा।
- छ) संविदाकार द्वारा नियुक्त ड्राइवर/कर्मचारियों को बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा; साथ ही, मुख्य कार्यालय भवन और आवासीय कॉलोनियों में, जब भी ज़रूरत होगी, वाहनों/व्यक्तियों को सुरक्षा जाँच से गुज़रना होगा।
- ज) संविदाकार द्वारा तैनात ड्राइवर के पास ड्यूटी के दौरान एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे ट्रैफ़िक कर्मियों द्वारा माँगे जाने पर उसे दिखाना होगा। उसके ड्राइविंग लाइसेंस का समय-समय पर नवीनीकरण करवाना और पुलिस सत्यापन करवाना संविदाकार की ज़िम्मेदारी होगी।
- झ) हर गाड़ी से जुड़े सभी कागज़ात, जैसे कि इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट, परमिट, वैध लाइसेंस वगैरह, हर गाड़ी में ड्राइवर के पास आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। सभी गाड़ियों में वैध फ़ासटैग, सही स्टिकर वाली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स होनी चाहिए और उनमें जीपीएस लगा होना चाहिए।
- ञ) संविदाकार द्वारा काम पर रखे गए लोग संविदाकार के ही कर्मचारी होंगे, और न तो संविदाकार और न ही उसके कर्मचारियों को बैंक में किसी भी तरह की नौकरी का दावा करने का कोई अधिकार होगा।
- ट) ड्राइवर को ड्यूटी स्लिप्स में पूरी जानकारी दर्ज करनी चाहिए, जैसे कि तय की गई किलोमीटर की दूरी, रिपोर्ट करने का समय, छुट्टी का समय, यात्रा शुरू और खत्म होने के समय की मीटर रीडिंग वगैरह; इन सभी जानकारियों को सेवा का इस्तेमाल करने वाले अधिकारी से विधिवत प्रमाणित करवाया जाना चाहिए। मेहमान को दी गई गाड़ी का मॉडल और रजिस्ट्रेशन नंबर भी ड्यूटी स्लिप पर लिखा होना चाहिए।
- ठ) इसके अलावा, ड्राइवर को हर समय विनम्र, शिष्ट और सेवा-भाव वाला होना चाहिए। माँग किए जाने पर उसे मेहमान को अपना मोबाइल नंबर देना चाहिए।

3.3 परिचालनात्मक आवश्यकताएँ (कार/ टेम्पो ट्रेवेलर/ मिनी बस)

- क) संविदाकार को फ़ोन पर लिखित या मौखिक निर्देश मिलने के एक घंटे के भीतर कार / टेम्पो ट्रेवेलर / मिनी बस उपलब्ध करानी होगी। संविदाकार को बैंक की ओर से कम समय के नोटिस पर भी कार / टेम्पो ट्रेवेलर / मिनी बस उपलब्ध करानी होगी (जैसे कि आपात स्थिति में एक घंटे के भीतर)। यदि हमारी मौखिक (फ़ोन पर) या लिखित अनुरोध पर वाहन उपलब्ध कराने से बार-बार इनकार किया जाता है, तो बैंक संविदाकार को परिवहन प्रदाताओं की सूची से हटाने के लिए स्वतंत्र होगा और उसकी सुरक्षा जमा राशि ज़ब्त कर ली जाएगी।
- ख) संविदाकार को बुकिंग की पुष्टि सीधे अतिथि को ई-मेल और एसएमएस (SMS) के माध्यम से भेजनी चाहिए, और उपयोगकर्ता के आने/जाने से कम से कम 8 घंटे पहले, बिना किसी चूक के, कार का विवरण (जैसे कार का मॉडल/रंग, कार का पंजीकरण नंबर, ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर) कार डेस्क के अधिकारियों और कार का उपयोग करने वाले व्यक्ति को ई-मेल और SMS के माध्यम से भेजना चाहिए।

- ग) बैंक को उपलब्ध कराए गए वाहन के खराब हो जाने की स्थिति में, संविदाकार को आपातकालीन परिवहन की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।
- घ) सबसे कम बोलियों (जो बेंचमार्क दरों के बराबर या उनसे अधिक हों) का विश्लेषण करने के लिए, बोलीदाताओं द्वारा प्रत्येक वाहन और उसकी श्रेणी के लिए प्रस्तावित/उद्धृत की गई न्यूनतम दरें, अन्य सभी पात्र बोलीदाताओं को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।
- ड) यात्रा शुरू होने से पहले, सेवा का उपयोग करने वाले प्रत्येक मेहमान/उपयोगकर्ता को एक फ़ीडबैक फ़ॉर्म (परिशिष्ट X के अनुसार) दिया जाना चाहिए। इस फ़ीडबैक फ़ॉर्म पर उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए और इसे भुगतान के लिए ड्यूटी स्लिप के साथ बैंक में जमा किया जाना चाहिए। यदि उपयोगकर्ता फ़ीडबैक देने का इच्छुक नहीं है, तो ड्राइवर द्वारा उससे फ़ॉर्म की पहली पंक्ति में 'नहीं' (मैं यात्रा के लिए फ़ीडबैक देने का इच्छुक हूँ/नहीं हूँ) पर टिक करने और फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जा सकता है। फ़ीडबैक फ़ॉर्म के बिना, या फ़ीडबैक फ़ॉर्म पर उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर के बिना भुगतान के लिए भेजे गए इनवॉइस का भुगतान बैंक द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।

4. प्रशिक्षुओं के लिए पिक-अप और ड्रॉप सेवाएँ (टेम्पो ट्रेवलर / मिनी बस का उपयोग करके)
संविदाकार, प्रशिक्षु अधिकारियों के परिवहन हेतु RBI की आवासीय कॉलोणियों और मुख्य कार्यालय भवन के बीच टेम्पो ट्रेवलर/मिनी बसें संचालित करेगा।

4.1 सुबह के मार्ग

क) सरोजिनी नगर -> आरबीआई मुख्य परिसर

- रिपोर्टिंग: 8:00 बजे पूर्वाह्न
- प्रस्थान: 08:45 बजे पूर्वाह्न

ख) शालीमार बाग

- रिपोर्टिंग: 8:15 बजे पूर्वाह्न
- प्रस्थान: 08:30 बजे पूर्वाह्न

4.2 शाम का मार्ग

क) आरबीआई मुख्य परिसर -> संबंधित प्रशिक्षु आवास क्षेत्र

ख) प्रस्थान: **05:30 बजे अपराह्न**

ग) दिन-वार आवश्यकता के अनुसार ड्रॉप लोकेशन

- सरोजिनी नगर
- शालीमार बाग

4.3 न्यूनतम उपयोग

क) जुलाई 2026 – जून 2027 के दौरान बस सेवाओं का उपयोग **कम से कम 100 दिनों** के लिए किया जाएगा।

4.4 आउटबाउंड कार्यक्रम आवश्यकता

क) बैंक को दिल्ली के भीतर या बाहर की यात्राओं के लिए टेम्पो ट्रेवलर / मिनी बस की आवश्यकता हो सकती है।

ख) शुल्क, अनुमोदित दरों के अनुसार **प्रति किलोमीटर के आधार पर** भुगतान किया जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है, और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/ पदनाम और मुहर के साथ)

खंड IV (बी) संविदा की शर्तें

क्रम सं.	खंड
1.	<p>परिभाषाएं</p> <p>1. परिभाषाएँ: इस करार में, जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कुछ न हो:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. "करार" का तात्पर्य कार्य के निष्पादन के लिए संविदाकार और बैंक के बीच हस्ताक्षरित करार से है। ii. "रद्दीकरण" का अर्थ है बुकिंग स्वीकार किए जाने के बाद बैंक द्वारा सेवाओं का कोई भी रद्दीकरण। iii. "बैंक" से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 से है। iv. "निविदा दस्तावेज" से तात्पर्य बैंक द्वारा बोलीदाताओं को कार्य के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया दस्तावेज होगा। v. "दिवस" का अर्थ कैलेंडर दिवस होगा vi. "कार्य दिवस" का तात्पर्य उन दिनों से है जब बैंक का कार्यालय कार्यरत होता है, अर्थात् सार्वजनिक अवकाश, शनिवार और रविवार को छोड़कर अन्य दिन। vii. "माह" का तात्पर्य कैलेंडर माह से होगा। viii. "वर्ष" का अर्थ वित्त वर्ष होगा। ix. "किराए पर लेने की अवधि (Hire Period)" का मतलब है बुकिंग में तय किया गया समय, या वह समय जिसके दौरान सेवाएँ दी जाती हैं—इनमें से जो भी ज़्यादा हो—जैसा कि आपसी सहमति से या इस एग्रीमेंट के अनुसार बदला गया हो। x. "पिक अप एड्रेस" का मतलब है बुकिंग में बताया गया वह पता, जहाँ से सेवाएँ शुरू होंगी। xi. "पिक अप समय" का मतलब है बुकिंग में बताई गई तारीख और समय या समय-सीमा, या वह समय जो बैंक ने संविदाकार को सेवाएँ शुरू करने के लिए बताया हो। xii. "बुकिंग" का अर्थ है बैंक की ओर से की गई कोई भी बुकिंग और संविदाकार द्वारा उसकी स्वीकृति। xiii. "सेवाएँ" का अर्थ है, ड्राइवर-चालित वाहन की सेवाएँ, जो पिक-अप पते पर पिक-अप समय से शुरू होती हैं। xiv. "अस्वीकार्य व्यवहार" का अर्थ है: सीट-बेल्ट न पहनना; मेहमान के लिए दरवाज़े न खोलना या बंद न करना (यह काम ड्राइवर को ही करना चाहिए); वाहन के अंदर धूम्रपान करना; शराब के नशे में होना,

	<p>या किसी भी अवैध पदार्थ के प्रभाव में होना या उसे अपने पास रखना; गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करना; हिंसक या आक्रामक होना, या खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए खतरा या संभावित खतरा बनना; उपद्रवी व्यवहार करना; या किसी भी तरह से गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य स्थिति में होना।</p> <p>xv. "वाहन" का अर्थ है वह वाहन जिसका पंजीकरण नंबर बुकिंग में बताया गया है, या कोई भी बदला हुआ वाहन जिस पर दोनों पक्ष सहमत हों।</p> <p>xvi. "लेखन" में कोई भी लिखित कागज़ दस्तावेज़, ई-मेल पत्राचार और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश शामिल है।</p> <p>xvii. "बोलीदाता" से तात्पर्य निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी पक्षों से होगा।</p> <p>xviii. "संविदाकार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी से होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो कार्य कर रहा हो और इसमें ऐसे व्यक्ति या ऐसी फर्म या कंपनी से बने व्यक्तियों का कानूनी प्रतिनिधि, या ऐसी फर्म या कंपनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी के अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे।</p> <p>xix. "बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि" से तात्पर्य बैंक द्वारा नियोजित और भुगतान प्राप्त करने वाले तथा बैंक के आदेशों के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों से है, जो दिन-प्रतिदिन के कार्य निष्पादन का सुपरविज़न करेंगे।</p> <p>xx. "संविदा राशि" का तात्पर्य सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों से गणना की गई कुल राशि से होगा तथा निविदा दस्तावेज़ में आवश्यकतानुसार बैंक द्वारा स्वीकार की गई राशि से होगा तथा कार्य सौंपने के पत्र में दर्शाया गया होगा।</p> <p>xxi. "लिखित में सूचना या लिखित सूचना" का अर्थ लिखित, टाइप या मुद्रित अक्षरों में भेजी गई सूचना है (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न की गई हो या अन्यथा प्राप्त होना सिद्ध न हो) जो पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजी गई हो और उसे उसी समय प्राप्त हुआ माना जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में उसे वितरित और/या भेजा गया होता। किसी भी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित संचार को भी लिखित सूचना माना जाएगा।</p> <p>xxii. "कार्य प्रारंभ" का तात्पर्य कार्य आदेश में 'कार्य प्रारंभ तिथि' के रूप में निर्दिष्ट तिथि से होगा।</p>
2.	निविदा की पर्याप्तता

	<p>यह माना जाएगा कि संविदाकार ने बोली लगाने से पहले, कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में, तथा मूल्य बोली (Price Bid) में उद्धृत दरों और कीमतों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है; और ये दरें तथा कीमतें, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, संविदा के तहत उसके सभी दायित्वों को, तथा सेवाओं को ठीक ढंग से पूरा करने और प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को शामिल करेंगी।</p>
3.	<p>संविदा अवधि</p> <p>संविदा प्रारंभ में कार्य आदेश में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक कि समाप्ति खंड के अनुसार इसे पहले ही समाप्त न कर दिया जाए। इस संविदा पर, बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार संविदाकार के संतोषजनक प्रदर्शन और बैंक के पूर्ण विवेक के अधीन, अधिकतम दो वर्षों (एक बार में एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए) तक आगे नवीनीकरण के लिए विचार किया जा सकता है, और वह भी उन्हीं नियमों और शर्तों पर। निविदा दस्तावेज़ में निहित नियम और शर्तें, तथा जारी किए गए कोई भी स्पष्टीकरण (शुद्धिपत्र), इस समझौते का अभिन्न अंग माने जाएंगे और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे।</p> <p>यदि संविदा का नवीनीकरण या विस्तार किया जाता है, तो संविदाकार को नवीनीकृत संविदा अवधि के लिए वैध एक नया करार प्रस्तुत करना होगा।</p>
4.	<p>संविदाकार का दायित्व</p> <p>1) संविदा में अन्यत्र उल्लिखित सभी आवश्यक रिपोर्टें और अन्य जानकारी, आवश्यकतानुसार, तत्काल बैंक को उपलब्ध कराई जाएंगी और बैंक के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।</p> <p>2) संविदाकार और उसके कर्मचारी, बैंक की संपत्तियों को किसी भी प्रकार की क्षति, ध्वंस या बर्बादी से बचाने के लिए उचित और तर्कसंगत सावधानियां बरतेंगे।</p> <p>3) संविदाकार, बैंक द्वारा उसे सौंपे गए कार्य-क्षेत्रों का दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही जान-बूझकर, उसके प्रबंधन के अधीन संपत्तियों से संबंधित किसी भी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को उधार देगा या सौंपेगा।</p> <p>4) संविदाकार, व्यवस्थाओं के प्रशासन, देखरेख और संचालन से जुड़ी सभी सेवाओं, कार्यों, मामलों और चीजों को, यहाँ बताए गए निर्देशों के अनुसार और बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले तथा दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए निर्देशों के अनुसार करेगा और उसे पूरा करेगा।</p> <p>5) संविदाकार के कर्मचारियों के किसी भी कार्य के कारण किसी भी मुकदमे (जिसमें उपभोक्ता आयोगों के मामले भी शामिल हैं) से उत्पन्न होने वाली कोई भी देनदारी, सभी खर्चों/जुर्मानों सहित, सीधे तौर पर संविदाकार द्वारा ही वहन की जाएगी।</p>

- 6) संविदाकार के पास दिल्ली में चौबीसों घंटे चलने वाली कंट्रोल रूम सेवा होनी चाहिए, साथ ही आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम भी होनी चाहिए।
- 7) इस समझौते का उद्देश्य संविदाकार द्वारा बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों को, आवश्यकता पड़ने पर, किराए के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के वाहन उपलब्ध कराना है।
- 8) सभी वाहन साफ-सुथरी और अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तथा उनकी अपहोल्स्ट्री (upholstery) आदि भी उचित स्थिति में होनी चाहिए।
- 9) तैनात किए गए ड्राइवरों का नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए, उन्हें ड्राइविंग का उचित अनुभव होना चाहिए और वे अंग्रेज़ी तथा हिंदी बोल पाने में सक्षम होने चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर, उन्हें रास्ते में गाड़ी की छोटी-मोटी मरम्मत करने में भी सक्षम होना चाहिए।
- 10) गाड़ियों में ये चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए: (i) एक अंग्रेज़ी या हिंदी और एक आर्थिक समाचार पत्र, (ii) 250 ml की चार ब्रांडेड मिनरल वॉटर की बोतलें, (iii) केस/पाउच में फ़ेस टिशू पेपर, (iv) छाता और फ़र्स्ट-एड बॉक्स, और (v) अग्निशामक यंत्र और मोबाइल चार्जर। ऊपर बताई गई चीज़ों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। इन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, संविदाकार ड्यूटी स्लिप के साथ एक फ़्रीडबैक फ़ॉर्म भी लगाएगा, ताकि ड्यूटी समाप्त होने पर मेहमान/अधिकारी से इसकी पुष्टि (acknowledgement) ली जा सके।
- 11) ड्राइवर को रोज़ाना के आधार पर माइलेज का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए और उसे बैंक के मेहमान/अधिकारी से प्रमाणित करवाना चाहिए। ड्राइवर को ड्यूटी स्लिप रखनी चाहिए जिसमें तय की गई किलोमीटर की दूरी/छूटने का समय आदि की पूरी जानकारी हो, और जिसे सेवा का उपयोग करने वाले अधिकारी ने विधिवत प्रमाणित किया हो।
- 12) कुल घंटों की गणना इस आधार पर की जाएगी कि ड्राइवर कार डेस्क/बैंक के संबंधित अधिकारी द्वारा बताए गए तय स्थान/समय पर रिपोर्ट करता है और तब तक जब तक मेहमान विदा नहीं हो जाता।
- 13) संविदाकार में आपातकालीन परिवहन/ट्रैनिंग सुविधा प्रदाताओं की व्यवस्था करने की क्षमता होनी चाहिए, यदि बैंक को दिए गए वाहन में कोई खराबी आ जाती है, और उसे सरकारी/बीमा अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने में भी सक्षम होना चाहिए।
- 14) संविदाकार द्वारा नियुक्त ड्राइवर/कर्मचारी, बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे, और वाहनों/व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा जाँच से गुज़रना होगा।
- 15) संविदाकार अपने द्वारा नियुक्त ड्राइवरों के पृष्ठभूमि (background) के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।

	<p>16) संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराई गई कारें 3 वर्ष से अधिक पुरानी न हों।</p> <p>17) ड्राइवर को हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन आदि पर आने वाले अतिथि/बैंक के अधिकारी का विवरण दर्शाने वाला एक प्लेकार्ड (placard) अपने साथ रखना होगा। संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्राइवरों की ओर से सेवा में कोई कमी न हो।</p> <p>18) संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई टैक्सियाँ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हों।</p> <p>19) चालक बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेंगे और बैंक परिसर में सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित बैंक के नियमों और विनियमों का भी पालन करेंगे।</p> <p>20) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन तथा वाहनों, यात्रियों या किसी तीसरे पक्ष के साथ होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों, चाहे वे वित्तीय हों या अन्य प्रकार के, के लिए केवल संविदाकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।</p> <p>21) समय की पाबंदी और सेवा की गुणवत्ता इस समझौते का मूल आधार होंगे। इसलिए, इस समझौते का नवीनीकरण संविदाकार द्वारा समय की पाबंदी और संतोषजनक कार्य-निष्पादन पर निर्भर करेगा।</p>
5.	<p>तैनात कर्मियों के प्रति संविदाकार की जिम्मेदारी</p> <p>क) "कार्य का दायरा" (खंड IV (ए)) में उल्लिखित कार्यों / सेवाओं के लिए संविदाकार द्वारा तैनात कर्मचारी सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए संविदाकार के कर्मचारी होंगे और इस प्रकार तैनात किए गए कर्मचारी संविदाकार के नियंत्रण और सुपरविज़न में रहेंगे और किसी भी स्थिति में, उक्त व्यक्तियों और बैंक के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में बैंक पर इस संबंध में कोई देयता न आए।</p> <p>ख) संविदाकार अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, सेवा समाप्ति और पुनः नियुक्ति के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में सभी घटनाक्रमों से बैंक को अवगत कराएगा।</p> <p>ग) संविदाकार अपने कर्मचारियों के सभी बकाया का भुगतान करेगा तथा इस संबंध में बैंक को किसी भी दायित्व से मुक्त रखेगा।</p> <p>घ) संविदाकार बैंक परिसर में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं देगा या उसे संचालित नहीं करेगा या अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं करेगा।</p> <p>ङ) संविदाकार अपने कर्मचारियों के व्यवहार, उनके पहनावे और यूनिफॉर्म के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे बैंक के</p>

	<p>कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, सहयोग करें और अनुशासन बनाए रखें।</p> <p>च) संविदा की समाप्ति पर, संविदाकार अपने कर्मचारियों को सभी वैधानिक भुगतान करने तथा अन्य सभी वैधानिक दायित्व और देयताएं पूरी करने तथा बैंक के पक्ष में उपयुक्त उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा, ताकि बैंक पर कोई दायित्व या देयता न आए।</p>
6.	<p>पुलिस सत्यापन</p> <p>संविदाकार द्वारा पुलिस सत्यापन के बिना किसी भी कर्मचारी को तैनात नहीं किया जाएगा। तैनात कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन संविदाकार को स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से करवाना होगा।</p>
7.	<p>संविदाकार द्वारा सभी प्रासंगिक वैधानिक कानूनों का पालन किया जाना चाहिए</p> <p>क) संविदाकार के कर्मचारियों को मजदूरी संहिता (कोड ऑफ़ वेजेज़) 2019 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार कम से कम न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कर्मचारियों को 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' (कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी) 2020 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और ईएसआई की सुविधा दी जानी चाहिए। ईएसआई न होने की स्थिति में, संविदाकार को 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत कर्मचारी मुआवज़ा बीमा जैसे बीमा कवरेज की जिम्मेदारी लेनी होगी। पूरा प्रीमियम संविदाकार को ही देना होगा। संविदाकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ़ योगदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ़ खाता होना चाहिए। अगर किसी कानूनी भुगतान का पालन न करने के बारे में कोई शिकायत मिलती है, तो उस राशि को बिल या बैंक में जमा सुरक्षा जमा से काट लिया जाएगा; इससे संविदा रद्द करने के बैंक के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संविदाकार को 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संबंधी संहिता, 2020' के सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा।</p> <p>ख) ठेकेदार को 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' और/या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए।</p> <p>ग) ठेकेदार, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा।</p>
8.	<p>सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का अनुपालन</p> <p>संविदाकार, 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के प्रावधानों के अनुसार, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निधि के संबंध में नियोक्ता का अंशदान</p>

	<p>करेगा। संविदाकार को ईएसआई और ईपीएफ़ का योगदान केवल दिल्ली में ही जमा करना होगा, और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी कर्मचारियों को ईएसआई कार्ड और ईपीएफ़ कार्ड तुरंत दे दिए जाएं। किसी भी स्थिति में, यदि संविदाकार निर्धारित समय के भीतर पीएफ़/ईएसआई अंशदान आदि के लिए कर्मचारी/नियोक्ता का अंश जमा करने में विफल रहता है, तो बैंक इस समझौते या बैंक के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत संविदाकार को देय या प्राप्त होने वाली किसी भी राशि से उतनी ही राशि वसूल करने का हकदार होगा, और बैंक में तैनात कर्मियों का विवरण विधिवत प्रस्तुत करते हुए वह राशि संबंधित अधिकारियों को जमा कर देगा।</p>
<p>9.</p>	<p>न्यूनतम मज़दूरी पर कानूनों/विनियमों का अनुपालन</p> <p>क) मज़दूरी संहिता, 2019' और उसके तहत बनाए गए नियमों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी लागू होगी। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान एनईएफ़टी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। किसी भी परिस्थिति में मज़दूरी नकद में नहीं दी जाएगी। संविदाकार को मज़दूरी का एक रजिस्टर रखना होगा और अपने यहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी को एक वेतन पर्ची जारी करनी होगी। इसके अलावा, उन्हें 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संबंधी संहिता, 2020' के अनुसार अपने कर्मचारियों को पीने का पानी, प्राथमिक उपचार की सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध करानी होंगी। संविदाकार समय-समय पर मज़दूरी के भुगतान, मज़दूरी की अवधि, मज़दूरी में से कटौतियाँ, न चुकाई गई मज़दूरी की वसूली और बिना अनुमति की गई कटौतियों, मज़दूरी बही का रखरखाव, मज़दूरी पर्ची, मज़दूरी के पैमाने और रोज़गार की शर्तों का प्रकाशन, निरीक्षण और समय-समय पर विवरणियाँ जमा करने के संबंध में श्रम नियमों का पालन करेगा या करवाएगा।</p> <p>ख) यदि संविदाकार द्वारा इस अनुबंध को पूरा करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति की मज़दूरी के भुगतान में कोई चूक होती है, और यदि इसके लिए श्रम अधिकारियों के कार्यालय में कोई दावा दायर किया जाता है, और उसका प्रमाण श्रम अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक, यदि संविदाकार उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, संविदाकार की ओर से उक्त श्रम अधिकारियों को ऐसे दावे का भुगतान कर सकता है; और इस प्रकार भुगतान की गई कोई भी राशि बैंक द्वारा संविदाकार से वसूल की जा सकेगी।</p> <p>ग) यदि श्रम अधिकारियों के किसी निर्देश, या किसी भी श्रम कानून या विनियम के तहत किए गए किसी दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप, बैंक को किसी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, तो ऐसी</p>

	<p>राशि को संविदाकार द्वारा बैंक को सात दिनों के भीतर देय माना जाएगा। बैंक, संविदाकार को देय राशि में से या सुरक्षा जमा (Security Deposit) में से उक्त राशि को काटकर, संविदाकार से उस राशि की वसूली करने का हकदार होगा।</p>
10.	<p>संविदाकार द्वारा देय लेवी/कर</p> <p>क) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर (GST), शुल्क, लेवी और रॉयल्टी, या इस संविदा के संबंध में लागू कोई भी अन्य कर, संविदाकारों द्वारा देय होंगे; और बैंक इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं करेगा।</p> <p>ख) संविदाकार द्वारा दी गई सेवा के लिए जीएसटी के भुगतान हेतु बैंक उत्तरदायी नहीं है। कर प्राधिकरण को जीएसटी का भुगतान करना संविदाकार की ज़िम्मेदारी है। संविदाकार जीएसटी और अन्य रिटर्न जमा करने संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करेगा। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, दस्तावेज़ी प्रमाण बैंक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।</p> <p>ग) आयकर, जीएसटी पर टीडीएस, या सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य कर को, संविदाकार को भुगतान किए जाने वाले पखवाड़े के बिलों से, लागू होने के अनुसार काट लिया जाएगा; और बैंक इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं करेगा।</p>
11.	<p>भुगतान की शर्तें</p> <p>क) संविदाकार, बैंक द्वारा भुगतान जारी किए जाने के लिए, अपने बिल बैंक को हर पखवाड़े (दो हफ़्ते में एक बार) जमा करेगा। बैंक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों को छोड़कर, बिलों का भुगतान बिल जमा होने के 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। (लागू टैक्स काटने के बाद) पूरे और सही बिल को सहायक दस्तावेज़ों के साथ जमा करने की तारीख से, जैसा कि नीचे दिया गया है:</p> <p>i. संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन का चालक अपने साथ संविदाकार द्वारा दी गई ड्यूटी स्लिप रखेगा, जिसमें दिनांक, समय, किलोमीटर रीडिंग और विज़िट किए गए स्थानों की जानकारी भरी जाएगी और जिस पर उपयोगकर्ताओं/बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे।</p> <p>ii. इन ड्यूटी स्लिप्स के आधार पर, संविदाकार द्वारा बैंक को बिल प्रस्तुत किए जाएँगे।</p> <p>iii. दूरी की गणना गैरेज से की जाएगी, लेकिन इस संबंध में प्रभार्य दूरी, उपयोगकर्ता के डिलीवरी पते और गैरेज/सामान्य पार्किंग स्थल के बीच, प्रत्येक तरफ 15 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।</p>

	<p>ख) एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन से पिकअप के समय और बाहर के ट्रिप के लिए, रसीद दिखाने पर, लागू टोल और पार्किंग चार्ज असल आधार पर दिए जाएँगे।</p> <p>ग) एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन पर 'ड्रॉप' करने के मामले में कोई पार्किंग चार्ज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>घ) 4 घंटे/40 किमी के बाद और ज़्यादा किराया लेने से पहले, 1 घंटे या 10 km का अतिरिक्त समय (कुशन टाइम) दिया जाएगा।</p> <p>ङ) यदि संविदाकार उस श्रेणी की कार उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है जिसके लिए बैंक ने बुकिंग की है, तो उसे उससे उच्च श्रेणी का वाहन उपलब्ध कराना होगा। हालाँकि, भुगतान उस श्रेणी के वाहन के लिए ही किया जाएगा जिसकी बुकिंग बैंक ने की थी। किसी भी स्थिति में, संविदाकार निम्न श्रेणी की कार उपलब्ध नहीं कराएगा।</p> <p>च) यदि किसी भी सांविधिक भुगतान के अनुपालन न होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो बैंक के संविदा समाप्त करने के अधिकार पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, संबंधित राशि बिल से रोक ली जाएगी।</p> <p>छ) एक घोषणा जिसमें यह कहा गया हो कि सभी सांविधिक अधिनियमों का पालन किया गया है। यह घोषणा संविदाकार के पत्रशीर्ष पर होगी और बिल के साथ, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगी; इसमें यह कहा जाएगा कि "बैंक के साथ चल रहे संविदा के संबंध में सरकार को सभी सांविधिक भुगतान कर दिए गए हैं, और आरबीआई के स्थानों पर तैनात सभी कर्मचारियों को 'मजदूरी संहिता, 2019' तथा संविदा के अनुसार पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया है। श्रमिकों के रोज़गार के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए सभी सरकारी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।" बैंक के निर्देशानुसार कोई भी अन्य दस्तावेज़, पाक्षिक बिल/इनवॉइस के साथ जमा किया जाना आवश्यक है। यदि उपर्युक्त दस्तावेज़ों में से कोई भी दस्तावेज़ बिल के साथ जमा नहीं किया जाता है, तो बैंक को बिल स्वीकार करने अथवा उसका भुगतान करने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिल जमा करने से पहले, संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि बिल की अवधि के लिए उसके द्वारा नियुक्त लोगों को मज़दूरी का भुगतान कर दिया गया है। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, संविदाकार इस अनुबंध की शर्तों में निर्धारित शुल्कों के अतिरिक्त किसी भी अन्य शुल्क का दावा करने का हकदार नहीं होगा। बिलों का भुगतान सभी लागू वैधानिक करों (जैसे कि आयकर, जीएसटी आदि) की कटौती करने के बाद किया</p>
--	--

	<p>जाएगा। बिलों से की गई टीडीएस कटौतियों के प्रमाण के तौर पर, प्रत्येक तिमाही में एक टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।</p> <p>ज) बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बिल का भुगतान हो जाने के बाद, संविदाकार के कामों और बिलों (जिसमें सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि शामिल हैं) का ऑडिट और तकनीकी परीक्षण करवाए; और यदि ऐसे ऑडिट और तकनीकी परीक्षण के परिणामस्वरूप यह पाया जाता है कि संविदाकार को इस अनुबंध के तहत किए गए किसी काम के लिए या उसके द्वारा किए जाने का दावा किए गए किसी काम के लिए (जो वास्तव में नहीं किया गया था) ज़रूरत से ज़्यादा भुगतान कर दिया गया है, तो संविदाकार उस अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक को यह अधिकार होगा कि वह संविदाकार से यह राशि या तो उसके बकाया बिलों से, या सुरक्षा जमा (Security Deposit) से, या किसी अन्य कानूनी रूप से अनुमत तरीके से वसूल कर ले; और यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार को इस अनुबंध के तहत उसके द्वारा किए गए किसी काम के लिए, उसे मिलने वाली राशि से कम भुगतान किया गया है, तो बैंक द्वारा उस कम भुगतान की राशि संविदाकार को विधिवत चुका दी जाएगी, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>झ) बैंक, संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए गए पाक्षिक बिलों के आधार पर, सभी करों सहित, सहमत राशि का भुगतान कार्य-निष्पादन के आधार पर करेगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा। नई दिल्ली स्थित बैंक के कार्यालय में आने के लिए, बैंक द्वारा किसी भी कर्मचारी या संविदाकार के अधिकारियों को अलग से कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। यदि लागू हो, तो टीडीएस की कटौती बैंक द्वारा की जाएगी।</p> <p>ञ) किसी भी सांविधिक भुगतान का अनुपालन न किए जाने के संबंध में कोई शिकायत होने पर, बैंक के संविदा समाप्त करने के अधिकार पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, संबंधित राशि बिल से रोक ली जाएगी।</p>
12.	<p>काम को उप-पट्टे पर देना</p> <p>संविदा में शामिल समस्त कार्य संविदाकार द्वारा ही निष्पादित किए जाएंगे, और संविदा या उसका कोई भी भाग/हिस्सा अथवा उसमें निहित कोई भी हित किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा (सिवाय खंड IV(ए) के क्लॉज़ 3.1(एफ़) के अंतर्गत आने वाले मामलों के); साथ ही, कोई भी शपथपत्र संविदाकार को संविदा के प्रति उसकी पूर्ण और समग्र ज़िम्मेदारी से, अथवा संविदा की अवधि के दौरान कार्यों के सक्रिय पर्यवेक्षण की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।</p>

13.	<p>दंड धाराएँ/परिसमाप्त क्षतियाँ</p> <p>दंड संबंधी प्रावधानों का विस्तृत विवरण खंड IV (सी) में दिया गया है।</p>
14.	<p>व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा</p> <p>संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि एक व्यापक बीमा पॉलिसी उपलब्ध हो, जो सभी यात्रियों को बीमा कवर प्रदान करती हो और किसी भी तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध सुरक्षा देती हो; साथ ही, यह पॉलिसी संविदा की अवधि के दौरान प्रभावी भी रहनी चाहिए। यदि कोई दुर्घटना होती है, और उसके परिणामस्वरूप किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।</p>
15.	<p>बैंक की संपत्ति को नुकसान</p> <p>(क) कि बैंक की किसी भी संपत्ति को, तैनात किए गए कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी क्षति की भरपाई संविदाकार से की जाएगी, और इस क्षति की मात्रा संविदाकार को उचित सूचना देने के बाद निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में निर्णय <u>सक्षम प्राधिकारी (सीए)</u> द्वारा लिया जाएगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंध विभाग) होंगे। तथापि, संविदाकार को क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, और इस मामले में उनका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।</p>
16.	<p>क्षतिपूर्ति खंड</p> <p>(क) संविदाकार बैंक और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशकों और प्रतिनिधियों को सभी दावों (तृतीय पक्ष के दावों सहित), कार्रवाइयों, हानियों, क्षतियों, लागतों, व्ययों, प्रभारों, कानूनी खर्चों सहित, के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, जो संविदाकार की ओर से चूक के कारण बैंक को भुगतना पड़ सकता है या वहन करना पड़ सकता है:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. संविदा अवधि के दौरान सरकार या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों का उल्लंघन; या ii. संविदा की शर्तों और नियमों का पालन न करना; या iii. संविदाकार द्वारा किए गए अभ्यावेदनों और वारंटियों का उल्लंघन; या iv. संविदाकार द्वारा या संविदाकार के कारण किसी तीसरे पक्ष द्वारा लापरवाही या धोखाधड़ीपूर्ण कार्य या चूक। v. संविदाकार को अपने कर्मचारियों के किसी भी दावे के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति देनी होगी तथा संविदाकार का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कार्मिकों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि उनका बैंक के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा नहीं होगा तथा वे अपनी किसी भी सेवा शर्त या अन्यथा के संबंध में बैंक के साथ या उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष रूप से कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाएंगे।

	<p>vi. इसके अलावा, संविदाकार, इस संविदा के प्रयोजनार्थ, कर्मकार प्रतिकर, 1923 या उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के अंतर्गत, या उसके नियोजन के दौरान किसी व्यक्ति को हुई किसी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय प्रतिकर के किसी कानून या नियमों के अंतर्गत किए जाने वाले सभी दावों के विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। संविदाकार अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य देय राशियों के साथ-साथ उनके द्वारा की गई चूक/कमी के लिए भी पूरी तरह उत्तरदायी होगा।</p> <p>(ख) संविदाकार, संविदाकार द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में बैंक को सभी प्रकार के दावों से क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। यदि संविदाकार द्वारा तैनात किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो उसका विरोध करना संविदाकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त, संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में बैंक पर किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय या अन्य देनदारी न आए और इस संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।</p>
<p>17.</p>	<p>गैर-प्रकटीकरण खंड</p> <p>क) संविदाकार और उसके द्वारा बैंक के परिसर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त कर्मचारी, बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस अनुबंध के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान संविदाकार के कब्जे या ज्ञान में आए हों, किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेंगे और इसे हर समय सख्त गोपनीयता में रखेंगे। संविदाकार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। संविदाकार या उसके कर्मचारी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेंगे, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देंगे या प्रकट नहीं करेंगे। संविदाकार, बैंक को संविदाकार या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति देगा। उपरोक्त का पालन न करने पर इसे संविदाकार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने/संविदा समाप्त करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।</p> <p>ख) संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी न बताने के दायित्वों का पूरी तरह से पालन किया गया है।</p>

	गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में संविदाकार के दायित्व, किसी भी कारण से इस संविदा की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।
18.	<p>महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013</p> <p>क) संविदाकार "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। बैंक परिसर में अपने ही कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी, जो शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।</p> <p>ख) संविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।</p> <p>ग) यदि घटना में संविदाकार का कर्मचारी शामिल है तो संविदाकार को किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होना होगा, उदाहरण के लिए, यदि संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी मौद्रिक राहत।</p> <p>घ) संविदाकार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>ङ) संविदाकार को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।</p>
19.	<p>संविदा की समाप्ति</p> <p>क) किसी भी पक्ष को लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर माह का नोटिस देकर संविदा समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी। संविदाकार द्वारा नोटिस अवधि की शर्त पूरी करने में किसी भी कमी के कारण, बैंक के विवेक पर, सुरक्षा जमा की आंशिक या पूर्ण ज़ब्ती हो सकती है।</p> <p>ख) इस खंड में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, बैंक, संविदाकार के विरुद्ध किसी भी विलंब, क्षतिपूर्ति के दावों और/या इस संविदा के किसी अन्य प्रावधान या अन्यथा के संबंध में अपने किसी भी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित सूचना देकर निम्नलिखित में से किसी भी मामले में इस संविदा को समाप्त कर सकता है:</p> <p>(i) यदि संविदाकार ने संविदा छोड़ दिया है।</p>

(ii) यदि संविदाकार सेवा प्रदान करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के अंतर्गत किसी भी वैध बहाने के बिना, बैंक से आगे बढ़ने का नोटिस प्राप्त होने के बाद सेवा की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या उचित तत्परता के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे सेवा सहमत समय के भीतर पूरी की जा सके।

(iii) इस संविदा के तहत, संविदाकार को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी, यदि उसने उन सभी या किसी भी कार्य, मामले या कार्य का पालन करने या उन्हें पूरा करने में लगातार लापरवाही बरती है या असफल रहा है।

(iv) यदि संविदाकार ने बैंक के साथ संविदा किसी दुर्भावनापूर्ण या असह्यपूर्ण तरीके (जैसे कार्टेलाइज़ेशन आदि) से प्राप्त किया हो, अथवा वह संविदा की शर्तों का उल्लंघन करता हो।

(v) यदि संविदाकार, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई फर्म, 'दिवालियापन का कोई कार्य' (जैसा कि दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 में परिभाषित है) करता है, या उसे दिवालिया/अक्षम घोषित कर दिया जाता है, या यदि वह कोई निगमित कंपनी है और उसके विरुद्ध अनिवार्य रूप से बंद करने का कोई आदेश जारी होता है, या वह स्वेच्छा से, अथवा न्यायालय/न्यायाधिकरण की देखरेख में, कंपनी को बंद करने का कोई प्रभावी प्रस्ताव पारित करता है; तो ऐसे दिवालियापन या कंपनी को बंद करने की प्रक्रियाओं के दौरान, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक असाइनी या लिक्विडेटर उसे तत्काल एक नोटिस जारी करेगा। इस नोटिस में उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह बैंक को इस बात का उचित संतोषजनक प्रमाण दे कि वह संविदा को पूरा करने और उसके दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम है, और यदि बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो वह इस संबंध में आवश्यक सुरक्षा भी प्रदान करे।

(vi) यदि संविदाकार (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म अथवा निगमित कंपनी हो) के विरुद्ध न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा संपत्ति की कुर्की (अटैचमेंट) से संबंधित कोई कार्यान्वयन अथवा अन्य प्रक्रिया जारी की जाती है।

(vii) यदि संविदाकार इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को अपने किसी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क होने देता है, अथवा संविदाकार इस अनुबंध पर, या इस अनुबंध के तहत उसे देय या भविष्य में देय होने वाले किसी भी भुगतान पर कोई प्रभार लगाता है या उसे

	<p>गिरवी रखता है।</p> <p>(viii) यदि संविदाकार इस संविदा को किसी अन्य को सौंप देता है या उप-किराए पर दे देता है (सिवाय खंड IV(a) के क्लॉज़ 3.1(f) के अंतर्गत आने वाले मामलों के)।</p> <p>(ग) तब, और क्लॉज़ (b) में बताए गए किसी भी मामले में, बैंक, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, संविदाकार को लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देने के बाद, संविदा को समाप्त कर सकता है; लेकिन ऐसा करने से बैंक की शक्तियों, या संविदाकार के दायित्वों और जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सभी पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेंगे, मानो संविदा समाप्त ही न हुआ हो, और मानो बाद में किए गए काम संविदाकार द्वारा, या उसकी ओर से ही किए गए हों। इसके बाद, बैंक उन खर्चों या नुकसान का पता लगाएगा और उन्हें लिखित रूप में प्रमाणित करेगा, जो काम/सेवाओं को पूरा करवाने में बैंक को उठाने पड़े हों; साथ ही, यदि कोई राशि संविदाकार को देनी बनती हो, तो उस राशि को भी प्रमाणित करेगा। इस प्रकार प्रमाणित राशि का भुगतान बैंक द्वारा संविदाकार को, या संविदाकार द्वारा बैंक को (जैसा भी मामला हो) किया जाएगा; और इस संबंध में बैंक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र दोनों पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक माना जाएगा। बैंक सुरक्षा जमा को जब्त करने का भी हकदार होगा।</p>
<p>20.</p>	<p>संविदाकार द्वारा संविदा की समाप्ति</p> <p>यदि बैंक द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया है और लिखित नोटिस दिए जाने के 30 दिनों बाद भी उसका भुगतान नहीं किया गया है (जिसमें संविदाकार ने बैंक से उक्त राशि के भुगतान की मांग की हो), या यदि बैंक संविदा को रद्द कर देता है, या यदि बैंक के आदेश पर, या किसी न्यायालय के निषेधाज्ञा या अन्य आदेश के कारण कार्य तीन महीने तक रुका रहता है; तो इन सभी मामलों में से किसी भी मामले में, संविदाकार को यह अधिकार होगा कि वह बैंक को 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर दे, और वह बैंक से, अब तक किए गए सभी कार्यों के लिए भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करते समय, संविदाकार के मूल निविदा में दी गई शुद्ध दरों (net rates) का पालन किया जाएगा। तथापि, संविदाकार नोटिस अवधि के दौरान अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा उसे इन दायित्वों से मुक्त न कर दिया जाए।</p>
<p>21.</p>	<p>संविदाकार की मृत्यु की स्थिति में संविदा की समाप्ति</p> <p>इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि संविदाकार, एक व्यक्ति/एकमात्र स्वामी होने के नाते, की मृत्यु हो</p>

	जाती है, तो बैंक के पास, बिना किसी दायित्व के, तथा संविदाकार को मुआवजा दिए बिना, संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।
22.	<p>अप्रत्याशित घटनाएँ</p> <p>क) इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी अन्य बात के बावजूद, कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है, जिसमें बिना किसी सीमा के, सरकारी कृत्यों, दैवीय आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं, हड़तालों, किसी भी क्षेत्र में दंगों, आतंकवादी हमलों, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण होने वाली देरी शामिल है। हालाँकि, देरी का कारण बनने वाली ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, संविदाकार को तुरंत बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी। संविदाकार का दायित्व है कि वह अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।</p> <p>ख) ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में संविदा को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा।</p> <p>संविदा के अंतर्गत दायित्वों को घटना के समाप्त होने या समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र पुनः आरंभ किया जाएगा। यदि संविदा के अंतर्गत किसी दायित्व का निष्पादन घटना के कारण आपसी सहमति से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बाधित या विलंबित होता है, तो कोई भी पक्ष अपनी इच्छा से अनुबंध को समाप्त कर सकता है।</p>
23.	<p>विवादों का निपटारा और मध्यस्थता</p> <p>(क) यदि बैंक और संविदाकार के बीच, इस संविदा या कार्यों के निष्पादन के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का कोई विवाद पैदा होता है, तो दोनों पक्षों को सद्भावनापूर्वक, आपसी बातचीत के माध्यम से, इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रयास उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, जिस तारीख को कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने या सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है। बैंक, विवाद के समाधान के उद्देश्य से, एक आंतरिक 'विवाद समाधान समिति' (DRC) का गठन कर सकता है।</p> <p>(ख) यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो पाता है, तो उस अनसुलझे विवाद को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से चुने गए एकमात्र मध्यस्थ (Arbitrator) के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही, 'माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996' की धारा 29B में निर्धारित 'फास्ट ट्रैक प्रक्रिया' के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता</p>

	की कार्यवाही के दौरान, संविदाकार इस समझौते के तहत अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा उसे इससे मुक्त न कर दिया जाए। यह संविदा केवल दिल्ली स्थित न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन है।
24.	न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस समझौते से उत्पन्न या किसी भी तरह से इससे जुड़े सभी विवाद नई दिल्ली में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालयों को ही उनका निर्धारण करने का अधिकार होगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी अनुदेशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/ पदनाम और मुहर के साथ)

खंड IV (सी) – जुर्माना खंड

सेवाओं में कमी और बैंक व उसके अधिकारियों या उन लोगों को, जिनके लिए बैंक सेवाएँ देने का निर्देश देता है, हुई गंभीर असुविधा के मामले में, संबंधित घटना के लिए नीचे बताए अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और संविदाकार इस मामले में बैंक के निर्णय को चुनौती नहीं देगा। जुर्माने की वसूली संबंधित बिल, अन्य लंबित बिलों या सुरक्षा जमा राशि से कटौती करके की जाएगी।

कमियों के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने का विवरण इस प्रकार है:

क्र सं.	कमी की प्रकृति / सेवाओं का लैप्स होना	निर्धारित जुर्माना
1.	कार की विलंब से रिपोर्टिंग	हर अगले आधे घंटे या उसके किसी हिस्से के लिए ₹500/-
2.	अनुपलब्ध सुविधाएं (समाचार पत्र, पानी की बोतल (बिसलेरी/किनले या मानक ब्रांड), हैंड सैनिटाइज़र, फेस टिश्यू, फेस मास्क, छाता, आदि)	प्रति अनुपलब्ध सुविधा के लिए ₹500/-
3.	कार ड्यूटी की तारीख से तीन साल से ज़्यादा पुरानी पाई गई।	प्रति घटना के लिए ₹1000/-
4.	ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय पान या गुटखा चबाते या धूम्रपान करते हुए पाया गया / इसकी सूचना मिली।	प्रति घटना के लिए ₹1000/-
5.	ड्यूटी स्लिप में समय या किलोमीटर से जुड़ी गलत या बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई एंट्रीज़।	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
6.	बुकिंग के अनुसार कार रिपोर्ट न किए जाने पर	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
7.	ड्राइवर के मेहमान के साथ गलत व्यवहार करने की सूचना मिली / पाया गया।	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
8.	ड्राइवर को रास्ता न पता होने के कारण हुई असुविधा	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
9.	बिना स्मार्ट मोबाइल फ़ोन वाला ड्राइवर	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
10.	ड्यूटी के दौरान NCR में रीप्र्यूलिंग के लिए ड्राइवर का रुकना	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
11.	गाड़ी खराब होने की स्थिति में एक घंटे के भीतर वैकल्पिक वाहन का प्रबंध न कर पाना	हर मामले में ₹2000/- और साथ ही बैंक के सभी खर्चों की वसूली।
12.	ड्राइवर शराब, ड्रग्स या किसी गैर-कानूनी पदार्थ के नशे में पाया जाना / इसकी सूचना प्राप्त होना	प्रति घटना के लिए ₹5000/-
13.	ऑर्डर या मांग की गई कार के प्रकार/मॉडल की तुलना में निचले स्तर के प्रकार/मॉडल में बदलाव।	ट्रिप के लिए बुकिंग राशि के 100% के बराबर जुर्माना।

बैंक के पास ऐसी किसी भी कमी, सर्विस में चूक या बैंक को हुए नुकसान के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार है, जिसका अलग से ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो निविदा दस्तावेज़ के भाग 1 में शामिल है। अगर एक ही ड्यूटी के दौरान एक से ज़्यादा कमियां पाई जाती हैं, तो बैंक उन सभी कमियों के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार रखता है। इस मामले में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

अनुलग्नक - I निविदा के फॉर्म

स्थान:

तिथि:

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
नई दिल्ली

महोदया/ महोदय

नीचे दिए गए ज्ञापन में बताए गए काम के लिए निविदा आमंत्रण की सूचना, संविदा की सामान्य और खास शर्तें, बोली लगाने वालों के लिए सामान्य नियम और निर्देश, और निविदा दस्तावेज़ की बाकी सभी बातें पढ़ने और जांचने के बाद, और काम की जगह का मुआयना करने और निविदा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल करने के बाद, मैं/हम इस ज्ञापन में बताए गए कार्य को, उसमें तय समय के अंदर और मूल्य बोली में बताई गई दरों पर पूरा करने का प्रस्ताव देते हैं। साथ ही, हम संविदा की सामान्य और खास शर्तों, करार के नियमों, बोली लगाने वालों के लिए सामान्य नियमों और निर्देशों में लिखित सभी बातों और अन्य लागू होने वाली शर्तों का पूरी तरह पालन करते हुए यह काम करने का प्रस्ताव देते हैं।

ज्ञापन

एनआईटी सं/ ई-निविदा सं.	No.: RBI/ Delhi Regional Office/HRMD/1/26-27/ET/63
कार्य का नाम:	भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली की ज़रूरतों के अनुसार 'ऑन-कॉल' आधार पर कारें उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटर्स को सूचीबद्ध (empanel) करना।
निविदा की अनुमानित वार्षिक लागत	₹1,70,00,000/- (एक करोड़ सत्तर लाख रुपये मात्र) जिसमें जीएसटी, सभी लागू टैक्स, सेस और कोई अन्य शुल्क या लेवी शामिल हैं।
बयाना जमा राशि (ईएमडी)	₹3,40,000/- (केवल तीन लाख चालीस हजार रुपये)।
संविदा अवधि	यह संविदा शुरू में 'लेटर ऑफ़ अवार्ड' में बताई गई तारीख से एक साल की अवधि के लिए मान्य होगा।

2. हम निविदा के खंड III (ए) में बताई गई वैधता अवधि तक टेंडर को खुला रखने और इस अवधि या आपसी सहमति से बढ़ाई गई किसी भी अवधि के दौरान इसकी शर्तों और नियमों में कोई बदलाव न करने के लिए सहमत हैं।

3. एनआईटी/एसओटी में 'अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट' (बयाना राशि) के तौर पर बताई गई ₹3,40,000/- (तीन लाख चालीस हजार रुपये) की राशि, उसमें बताए गए तरीके से जमा की जा रही है और इसका प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल पर पहले ई-कवर में अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा, अगर मैं/हम खंड III(ए) में बताए अनुसार काम शुरू करने में नाकाम रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके उत्तराधिकारी, कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना, सुरक्षा जमा को पूरी तरह से ज़ब्त कर सकते हैं। यह सुरक्षा जमा निविदा दस्तावेज़ में बताई गई शर्तों के अनुसार सभी कामों को पूरा करने की गारंटी होगी।

4. इसके अलावा, मैं/हम सहमत हैं कि यदि ऊपर बताए अनुसार बयाना जमा राशि या सुरक्षा जमा ज़ब्त कर ली जाती है, तो मुझे/हमें कार्य की री-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

5. मैं/हम यह वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि इसी तरह का योग्य काम किसी दूसरे संविदाकार से 'बैंक-टू-बैंक' आधार पर नहीं करवाया गया है। साथ ही, अगर ऐसा कोई उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में आता है, तो मुझे/हमें भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक में निविदा भरने से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर काम शुरू होने की तारीख से पहले ऐसा कोई उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में आता है, तो बैंक 'अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट' (बयाना राशि) या 'सुरक्षा जमा' (सुरक्षा राशि) की पूरी रकम ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा से जुड़े दस्तावेज़ों और कार्य से संबंधित अन्य रिकॉर्ड को गोपनीय/कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज़ मानेंगे और उनसे मिली जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जिसे यह जानकारी देने के लिए मैं/हम प्राधिकृत नहीं हैं, और न ही इस जानकारी का इस्तेमाल भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह तरीके से करेंगे।

7. अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा संविदा की सभी शर्तों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहाँ तक वे लागू होते हैं; या ऐसा न करने पर, उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि भारतीय रिज़र्व बैंक को ज़ब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

8. हमारे बैंकों का विवरण फ़ॉर्मेट 5A के अनुसार दिया गया है।

दिनांकित _____ 20XX का _____ दिन

मेसर्स _____ के लिए और की तरफ से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तिथि _____

(इस निविदा के अनुलग्नक III के अनुसार तय फ़ॉर्मेट में 'पावर ऑफ़ अटॉर्नी' की सत्यापित टू कॉपी अपलोड की जाए।)

गवाहों के हस्ताक्षर एवं पते

	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

अनुलग्नक II - शॉर्टलिस्टिंग / पात्रता मानदंड के प्रारूप
फॉर्मेट 1 आधारभूत जानकारी (खंड III (बी) के मद के साथ पढा जाना)

- क) कंपनी/ फर्म का नाम
- ख) फर्म के पंजीकरण का विवरण:
क्या वह सोल प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप
फर्म/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड या
कोऑपरेटिव बॉडी आदि है।
- ग) कंपनी के प्रोपराइटर/पार्टनर्स/डायरेक्टर्स का
नाम और पता
- घ) कंपनी/फर्म का पंजीकृत पता
- ङ) पत्राचार का पता
- च) संपर्क व्यक्ति
- छ) पदनाम
- ज) मोबाइल नंबर.
- झ) फ़ैक्स/ टेली-फ़ैक्स
- ञ) ई-मेल आईडी
- ट) जीएसटी पंजीकरण विवरण एवं नंबर
- ठ) लेबर लाइसेन्स विवरण
- ड) ईपीएफ़ओ पंजीकरण संख्या
- ढ) ईएसआईसी पंजीकरण संख्या
- ण) अगर कंपनी सब्सिडियरी है, तो बैंक के
प्रस्तावित काम में पैरेंट कंपनी की कोई
भागीदारी (यदि हो तो)
- त) क्या बोलीदाता को कभी कार्य शुरू होने के
बाद लगातार छह महीने से ज़्यादा समय तक
काम रोकना पड़ा? अगर हाँ, तो इसकी वजह
बताएँ।

- थ) क्या बोलीदाता या पार्टनरशिप फर्म के मामले में किसी पार्टनर ने कभी दिए गए काम को पूरा होने से पहले छोड़ दिया है? अगर हाँ, तो काम का नाम और छोड़ने का कारण बताएँ।
- द) क्या बोली लगाने वाले या पार्टनरशिप फर्म के मामले में किसी पार्टनर को कभी किसी संगठन में प्रतिस्पर्धा करने से रोका गया है या ब्लैक-लिस्ट किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें।
- ध) क्या बोली लगाने वाले या पार्टनरशिप फर्म के मामले में किसी पार्टनर को कभी दोषी ठहराया गया है?
- न) क्या बोली लगाने वाला अभी चल रहे संविदाओं से जुड़े बार-बार होने वाले सिविल मुकदमों/कानूनी विवादों में शामिल है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें।

क्र सं	नियोक्ता और कार्य का नाम	कार्य की प्रकृति	कार्य आदेश संख्या और तिथि	कार्य का वर्तमान चरण	संविदा का मूल्य	मुकदमे का संक्षिप्त विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/ पदनाम और मुहर के साथ)

फॉर्मेट 2 पिछला कार्य अनुभव (खंड III(बी) के मद 2 के साथ पढ़ा जाना)

बोलीदाता/फ़र्म के द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण समान कार्यों की सूची

क्र सं	समान कार्यों का नाम और लोकेशन	कार्य की प्रकृति/संविदा में शामिल कार्य की मदें	क्लाइंट का नाम। साथ ही यह भी बताएं कि वह सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी संस्था है, और उसका पूरा डाक पता भी दें।	कार्य की लागत संविदा राशि (₹ लाख)	कार्य की शुरुयात तिथि	समापन की अवधि के पूरा होने की निर्धारित तारीख	विलंब का कारण, यदि कोई	क्या काम अधूरा रह गया था, या किसी भी पक्ष की ओर से संविदा खत्म कर दिया गया था?	मुकदमेबा ज़ी/मध्य स्थता (यदि कोई हो) और उसका विवरण।	कोई अन्य संबंधित जानकारी।		
1.	2.	3.	4.	5 ए	5 बी	6ए	6बी	6सी	7	8	9	10

सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें

तिथि: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

फॉर्मेट 3 पात्रता पूरी करने वाले कार्य (इसे खंड III(बी) के मद 4 के साथ पढ़ा जाए)

01 मई 2021 से 30 अप्रैल 2026 की अवधि के दौरान पांच वर्षों में पूरे किए गए समान कार्यों (योग्य) का विवरण।

क्र सं	समान कार्य का नाम और लोकेशन	अनुबंध में शामिल की प्रकृति (संक्षिप्त विवरण)।	क्लाइंट का काम नाम। साथ ही यह भी बताएं कि वह सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी संस्था है, और उसका पूरा डाक पता भी दें।	क्लाइंट का वह व्यक्ति जिससे ज़रूरत पड़ने पर बैंक संपर्क कर सके) का नाम, ईमेल आईडी, टेलीफ़ोन	कार्य की लागत	समाप्ति की अवधि	विलंब	क्या काम मुकदमे कोई
				एग्जीक्यूटिव (टेंडर भरने के वाले के क्लाइंट का वह व्यक्ति जिससे ज़रूरत पड़ने पर बैंक संपर्क कर सके) का नाम, ईमेल आईडी, टेलीफ़ोन	संविदा किए गए काम का वास्तविक मूल्य (₹ लाख में)	कार्य पूरा होने की तिथि	कार्य पूरा होने की तिथि	कारण, यदि कोई भी पक्ष की ओर से संविदा खत्म कर दिया गया था?

(लैंडलाइन
और
मोबाइल)
नंबर और
फ़ैक्स नंबर।

1 2 3 4 5 6 ए 6बी 7ए 7बी 7सी 8 9 10 11

(पात्रता मानदंडों में बताई गई न्यूनतम कीमत के बराबर या उससे अधिक लागत वाले काम)

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

फॉर्मेट 3A: क्लाइंट का सर्टिफिकेट – संविदाकार के काम-काज के बारे में (क्लाइंट के लेटर हेड पर) (इसे खंड III(बी) के मद 4 के साथ पढ़ा जाए)

क्लाइंट का नाम और पता:

श्री/ मेसर्स के द्वारा निष्पादित कार्य का विवरण:

क्र सं.	कार्य का नाम	
1	कार्य का संक्षिप्त विवरण	
2	करार संख्या और तिथि	
3	करार की राशि	
4	कार्य के आरंभ की तिथि	
5	कार्य पूरा करने की नियत तिथि	
6	कार्य पूरा करने की वास्तविक तिथि	
7	देरी के लिए लगाए गए मुआवज़े का विवरण (राशि बताएं), यदि कोई हो।	
8	पूरे किए गए और भुगतान किए गए काम की कुल राशि	
9	उस प्राधिकरण का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किए गए	
10	क्या संविदाकार ने काम पूरा करने के दौरान योग्य स्टाफ़/ओवरसियर को काम पर रखा था?	
11	i) काम की गुणवत्ता (ग्रेडिंग बताएं)	उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब
	ii) कम दरों पर भुगतान किए गए काम की राशि, यदि कोई हो।	
12	i) क्या संविदाकार मध्यस्थता के लिए गया?	
	ii) यदि हाँ, तो दावे की पूरी राशि	
	iii) प्रदत्त कुल राशि	

13	संविदाकार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ।	
	a) तकनीकी प्रवीणता	उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब
	b) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब
	c) पर्याप्त टी&पी की व्यवस्था करना	उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब
	d) जनशक्ति जुटाना	उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब
	e) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब
	f) कार्योपरान्त सेवा	उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

फॉर्मेट 4 वित्तीय स्थिति (खंड III(बी) के मद 5 के साथ पढ़ा जाए)

क्र सं	विवरण	वित्तीय वर्ष		
		1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 ₹ लाख में	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 ₹ लाख में	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 ₹ लाख में
1	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी वार्षिक वित्तीय टर्नओवर प्रमाण-पत्र।			
2	वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न			

नोट:

इस बयान के साथ निविदा भरने वाले के कारोबार के लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय स्टेटमेंट/अकाउंट्स की कॉपी (जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हों) और 2022-23, 2023-24, 2024-25 वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करने होंगे।

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/ पदनाम और मुहर के साथ)

**फॉर्मेट 5: अनुसूचित बैंक से बैंकर के प्रमाण-पत्र का प्रारूप
(बैंकर के पत्र शीर्ष पर) (खंड III(बी) के मद 6 के साथ पढ़ा जाए)**

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली – 110001

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी और सूचना के अनुसार, मेसर्स..... (जिनका पता बगल में लिखा है और जो हमारे बैंक के ग्राहक हैं) एक प्रतिष्ठित ग्राहक हैं और उन्हें ₹..... (₹ रुपये) की सीमा तक किसी भी लेन-देन के लिए विश्वस्त माना जा सकता है।

यह प्रमाणपत्र बैंक या किसी भी अधिकारी की बिना किसी गारंटी या ज़िम्मेदारी के जारी किया जाता है।

नाम, पदनाम और मुहर के साथ बैंक के लिए

नोट:

1. बैंकरों के प्रमाणपत्र बैंक के पत्रशीर्ष पर होने चाहिए और वे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित होने चाहिए।
2. पार्टनरशिप फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक के पास दर्ज सभी पार्टनर के नाम शामिल होने चाहिए।

फॉर्मेट 5ए: बोली लगाने वाले के बैंकर का विवरण (इसे खंड III(बी) के मद 6 के साथ पढ़ा जाए)

1	बैंकर का नाम और पूरा पता	
2	संपर्क अधिकारियों के नाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर (लैंडलाइन और मोबाइल), फ़ैक्स नंबर आदि।	
3	खाते का प्रकार और खाता संख्या	
4	वह अवधि जिसके दौरान सेवा प्रदाता बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है।	
5	कोई अन्य जानकारी जो सेवा प्रदाता अपने बैंकरों के बारे में देना चाहे।	
6	शाखा का आईएफ़एससी कोड	

तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

अनुलग्नक III - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी का प्रारूप
(रु 100 के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर)

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
नई दिल्ली

महोदया/महोदय,

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली की ज़रूरतों के अनुसार 'ऑन-कॉल' आधार पर कारें उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों को सूचीबद्ध (empanel) करना

हम (बोली लगाने वाले का नाम और उनके रजिस्टर्ड ऑफिस का पता) इसके ज़रिए श्री/सुश्री (पावर ऑफ़ अटॉर्नी होल्डर का नाम और घर का पता) को, जो अभी हमारे यहाँ के पद पर काम कर रहे हैं, अपना अटॉर्नी नियुक्त और अधिकृत करते हैं। वे हमारे नाम और हमारी ओर से उस प्रोजेक्ट के लिए हमारी बोली से जुड़े या उससे संबंधित सभी ज़रूरी काम और गतिविधियाँ करेंगे, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना और उन्हें जमा करना, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को जानकारी/जवाब देना, भारतीय रिज़र्व बैंक के सामने सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और उस प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रस्ताव से जुड़े सभी मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बातचीत करना शामिल है।

हम एतद्वारा इस पावर ऑफ़ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त वकील द्वारा किए गए सभी कृत्यों, कर्मों और चीजों की कानूनी रूप से पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और हमारे पूर्वोक्त वकील द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्य और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी।

बोलीदाता(ओं) का हस्ताक्षर

नाम:

बोलीदाता का स्टांप/सील

नोट:

पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर सही तरीके से स्टैम्प लगा होना चाहिए और उसे नोटराइज़ किया जाए। बोली लगाने वाले द्वारा दी गई पावर ऑफ़ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय (जिसे बदला न जा सके) हो।

अनुलग्नक – IV: बोली लगाने वाले के पत्रशीर्ष पर अंडरटेकिंग का पत्र (₹100/- के स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
बोलीदाता का नाम _____

निविदा का नाम _____ देय तिथि: _____

महोदय,

1. मैं/हम इसके द्वारा निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
2. इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस बोली (बिड) पर हस्ताक्षर करने से पहले, मैंने/हमने इसमें दी गई सभी शर्तों, नियमों और निर्देशों आदि को पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।
3. मैं/हम 'मजदूरी संहिता, 2019', 'इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020', 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' और 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, 2020', 'एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एक्ट, 1938', 'चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1986', 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों और रिलीविंग चार्ज, यूनिफॉर्म और उससे जुड़े अलाउंस तथा समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य चार्जेज़ का पालन करते हैं।
4. मैं/हम तैनात कर्मचारियों को 'मजदूरी संहिता, 2019' (जिसमें सरकार समय-समय पर संशोधन करती है) के अनुसार वेतन का भुगतान करेंगे और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

(बोलीदाता का हस्ताक्षर)

बोलीदाता का नाम और पता:

टेलीफ़ोन नंबर:

अनुलग्नक V

सार्वजनिक संस्थान(नों) द्वारा विवर्जन (डिबारमेंट) की घोषणा के संबंध में वचन-पत्र

(खंड III(ए) के क्लॉज़ 8 के साथ पढ़ा जाए)

(बोलीदाता के द्वारा उसके पत्रशीर्ष के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए)

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली की ज़रूरतों के अनुसार 'ऑन-कॉल' आधार पर कारें उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों को सूचीबद्ध (empanel) करना

महोदय,

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषित करता/करते हूँ/हैं कि

क) मैं/हम या हमारी कोई सहयोगी फर्म* या हमारे किसी पार्टनर/डायरेक्टर को पिछले तीन वर्षों में (बोली जमा करने की आखिरी तारीख तक) भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सरकारी संस्थान/संस्था द्वारा प्रतिबंधित/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

ख) मैंने/हमने या हमारी किसी सहयोगी फर्म* या हमारे किसी पार्टनर/डायरेक्टर ने (बिड जमा करने की आखिरी तारीख) तक पिछले तीन सालों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/संस्था के साथ 'कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी' (जैसा कि टेंडर में बताया गया है) का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

ग) अगर इस काम के लिए काम सौंपे जाने से पहले या उसके दौरान, भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सरकारी संस्था या इकाई द्वारा मुझे/हमें, हमारी किसी सहयोगी फर्म* को, या हमारे किसी पार्टनर/डायरेक्टर को प्रतिबंधित/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।

2. मैं/हम(बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें या हमारी सहयोगी फर्म*(सहयोगी फर्म/फर्मों का नाम) या हमारे पार्टनर/डायरेक्टर (पार्टनर/डायरेक्टर का नाम) को(भारत या किसी अन्य देश के सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट किया गया है और यह(..... (तारीख) तक लागू है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए ऐसे पत्र की एक कॉपी संलग्न है।

(बोलीदाता का मुहर और हस्ताक्षर)

तिथि

स्थान

(नोट: ऊपर दिए गए दो घोषणा-पत्रों में से जो लागू न हो, उसे काट दें।)

*सम्बद्ध फर्म: किसी फर्म को "संबद्ध फर्म" (allied firm) तब माना जाएगा जब उसका प्रबंधन एक ही हो, या प्रतिबंधित/सस्पेंड की गई फर्म के पास उसके बड़े या ज़्यादातर शेयर हों और इस वजह से उसका उस पर नियंत्रण हो। इसके अलावा, बाद में बनने वाली सभी फर्मों को भी संबद्ध फर्म ही माना जाएगा।

अनुलग्नक VI बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता के संबंध में शपथपत्र का प्रारूप (बोलीदाता के पत्रशीर्ष पर)

तिथि:

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001

संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली की ज़रूरतों के अनुसार 'ऑन-कॉल' आधार पर कारें उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों को सूचीबद्ध (empanel) करना

महोदय,

1. मैं/हम (बोली लगाने वाले का नाम) घोषणा करते हैं कि किसी भी कानूनी अधिकार-क्षेत्र में हमारे खिलाफ किसी भी मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है / नहीं की जा रही है।

1. मैं/हम (बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करते हैं कि हमारे खिलाफ़ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की गई है/की जा रही है:

..... (कानूनी कार्रवाई का विवरण, विचाराधीन प्रोजेक्ट, शामिल कानूनी प्राधिकरण आदि)

.....
हालाँकि, हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर बताई गई कानूनी कार्रवाई, 'एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन' के अनुसार बैंक की ज़रूरतों को पूरा करने की हमारी क्षमता पर कोई असर नहीं डालती है।

(नोट: ऊपर दिए गए दो घोषणा-पत्रों में से जो लागू न हो, उसे काट दें।)

2. इसके अलावा, हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे किसी भी पूरे किए गए प्रोजेक्ट में कोई सिविल मुकदमा / कानूनी विवाद / मध्यस्थता (अर्बिट्रेशन) आदि शुरू नहीं किया गया है।

2. इसके अलावा, हम यह भी बताते हैं कि हमारे पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स में निम्नलिखित सिविल मुकदमे / कानूनी कार्यवाही / मध्यस्थता के मामले शुरू किए गए थे / चल रहे हैं:

..... (प्रोजेक्ट का विवरण और कार्यवाही का प्रकार आदि)

.....
(नोट: ऊपर दिए गए दो घोषणा-पत्रों में से जो लागू न हो, उसे काट दें।)

बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर के साथ मुहर

तिथि

स्थान

अनुलग्नक VII: बयाना जमा राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रोफॉर्मा

(उचित मूल्य वाले नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

स्थान:

तिथि:

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मानव संसाधन प्रबंध विभाग

नई दिल्ली

महोदया/महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली की ज़रूरतों के अनुसार 'ऑन-कॉल' आधार पर कारें उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटरों को सूचीबद्ध (empanel) करना

संदर्भ: एनआईटी/विज्ञापन सं दिनांक

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है और जो नई दिल्ली में 6, संसद मार्ग स्थित अपने कार्यालय के माध्यम से काम कर रहा है - जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) ने बताए गए कार्य (जिसे आगे "उक्त निविदा" कहा जाएगा) के लिए निविदा आमंत्रित किए हैं। ये निविदा उक्त निविदा दस्तावेज़ों में बताई गई शर्तों के आधार पर हैं। निविदा आमंत्रण की शर्तों में से एक यह है कि बोली लगाने वाले को बयाना जमा राशि (EMD) के तौर पर ₹. _____ (केवल _____ रुपये) की बैंक गारंटी देनी होगी।

मेसर्स (बोली लगाने वाले का नाम) _____, (जिन्हें आगे "बोलीदाता" कहा जाएगा), जो हमारे क्लाइंट/ग्राहक हैं, वे उक्त काम के लिए अपना निविदा/बोली जमा करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि हम ईएमडी के तौर पर ₹. _____ (केवल _____ रुपये) की राशि के लिए आरबीआई को बैंक गारंटी दें।

अब यह गारंटी इस बात की गवाह है

1. हम _____ (बैंक का नाम) इसके ज़रिए आरबीआई और उनके उत्तराधिकारियों/असाइनियों (assigns) से सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि बोलीदाता ने टेंडर की शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है – और यह नतीजा हम पर और बोलीदाता पर भी बाध्यकारी होगा – तो आरबीआई के माँगने पर हम बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹ _____ (केवल _____ रुपये) या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत बोलीदाता की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए ईएमडी के

बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के लिए हमारी देनदारी ₹ _____ (केवल _____ रुपये) से ज़्यादा न हो।

2. हम यह भी मानते हैं और पुष्टि करते हैं कि ऊपर बताई गई ₹ _____ (केवल _____ रुपये) से ज़्यादा न होने वाली राशि का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के करेंगे। यह भुगतान आरबीआई की मांग पर और लिखित नोटिस मिलने पर किया जाएगा, जिसमें यह बताया गया हो कि यह राशि उन्हें देय है। हम इसके लिए किसी और सबूत या प्रमाण की मांग नहीं करेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा; हम किसी भी तरह से उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। हम ऊपर बताए गए नोटिस के मिलने की तारीख से एक हफ्ते के अंदर आरबीआई द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी, आरबीआई और बोलीदाता के बीच हुए करार या करारों या अन्य सहमतियों से स्वतंत्र होगी।

आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे। हम इसके अलावा इस बात से भी सहमत हैं कि –

क) आरबीआई द्वारा उक्त करार की शर्तों को लागू करने या उक्त निविदा और/या इसके तहत बताई गई किसी भी शर्त का पालन करने में कोई ढील या कार्रवाई न करने, या बोली लगाने वाले को कोई समय देने या कोई रियायत दिखाने, या इससे जुड़े किसी भी अन्य मामले से हमें या इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से किसी भी तरह से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह गारंटी तभी खत्म होगी जब बोली लगाने वाले अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लेंगे, और अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो हमारे द्वारा ₹ _____ (केवल _____ रुपये) से ज़्यादा न होने वाली राशि का भुगतान करने पर यह गारंटी खत्म होगी।

ख) इस दस्तावेज़ के तहत हमारी देयता ₹ _____ (केवल _____ रुपये) से ज़्यादा नहीं होगी।

ग) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे उन क्लाइंट्स/ग्राहकों की ओर से उक्त कार्य के लिए निविदा भरने या उससे जुड़ी उनकी ज़िम्मेदारियों में किसी कमी या अनियमितता का, या फिर उन क्लाइंट्स के संगठन के भंग होने या उसमें बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा।

घ) यह गारंटी _____ (निविदा मिलने की आखिरी तारीख से छह महीने) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि आरबीआई के चाहने पर, इस गारंटी को उन्हीं शर्तों और नियमों के साथ आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा, जैसा कि इसमें बताया गया है।

ड) हमारी ज़िम्मेदारी तब तक बनी रहेगी जब तक कि इस समझौते को ऊपर बताए अनुसार _____ तारीख को या उस दिन तक नवीनीकृत नहीं किया जाता, जिस दिन हमारे संबंधित पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं (जिसके लिए आरबीआई का लिखित प्रमाण ही अंतिम सबूत माना जाएगा); इनमें से जो भी तारीख बाद की होगी, वही लागू होगी। यदि _____ या बढ़ाई गई किसी अवधि के भीतर हमारे खिलाफ कोई दावा, मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस गारंटी

के तहत हमारे खिलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

भवदीय

बैंक _____ के लिए और की तरफ से

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (सील के साथ)

(एनबी: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी की ज़रूरत होगी जहाँ इसे निष्पादित किया जाएगा, और इस पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिनके हस्ताक्षर और अधिकार की पुष्टि की जाएगी।)

अनुलग्नक VIII – मसौदा करार की शर्तें

यह करार _____, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसका क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है और जो अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से कार्य कर रहा है - जिसे आगे 'बैंक' कहा जाएगा, और इस शब्द में, जहाँ संदर्भ के अनुसार उचित हो, बैंक के उत्तराधिकारी और असाइनी भी शामिल होंगे) एक पक्ष के रूप में, और _____ (जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है और जो अपने प्राधिकृत अधिकारी श्री/सुश्री _____ के माध्यम से कार्य कर रहा है - जिसे आगे 'संविदाकार' कहा जाएगा, और इस शब्द में, जहाँ संदर्भ के अनुसार उचित हो, संविदाकार के उत्तराधिकारी और असाइनी भी शामिल होंगे) दूसरे पक्ष के रूप में किया गया है।

ए) अब इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से सहमति व्यक्त की जाती है:

2. परिभाषाएँ: इस समझौते में, जब तक कि विषय या संदर्भ के विपरीत कोई बात न हो:

- i. "करार" का तात्पर्य कार्य के निष्पादन के लिए संविदाकार और बैंक के बीच हस्ताक्षरित करार से है।
- ii. "रद्दीकरण" का अर्थ है बुकिंग स्वीकार किए जाने के बाद बैंक द्वारा सेवाओं का कोई भी रद्दीकरण।
- iii. "बैंक" से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 से है।
- iv. "निविदा दस्तावेज" से तात्पर्य बैंक द्वारा बोलीदाताओं को कार्य के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया दस्तावेज होगा।
- v. "दिवस" का अर्थ कैलेंडर दिवस होगा।
- vi. "कार्य दिवस" का तात्पर्य उन दिनों से है जब बैंक का कार्यालय कार्यरत होता है, अर्थात् सार्वजनिक अवकाश, शनिवार और रविवार को छोड़कर अन्य दिन।
- vii. "माह" का तात्पर्य कैलेंडर माह से होगा।
- viii. "वर्ष" का अर्थ वित्त वर्ष होगा।
- ix. "किराए पर लेने की अवधि (Hire Period)" का मतलब है बुकिंग में तय किया गया समय, या वह समय जिसके दौरान सेवाएँ दी जाती हैं—इनमें से जो भी ज़्यादा हो—जैसा कि आपसी सहमति से या इस एग्रीमेंट के अनुसार बदला गया हो।
- x. "पिक अप एड्रेस" का मतलब है बुकिंग में बताया गया वह पता, जहाँ से सेवाएँ शुरू होंगी।
- xi. "पिक अप समय" का मतलब है बुकिंग में बताई गई तारीख और समय या समय-सीमा, या वह समय जो बैंक ने संविदाकार को सेवाएँ शुरू करने के लिए बताया हो।
- xii. "बुकिंग" का अर्थ है बैंक की ओर से की गई कोई भी बुकिंग और संविदाकार द्वारा उसकी स्वीकृति।
- xiii. "सेवाएँ" का अर्थ है, ड्राइवर-चालित वाहन की सेवाएँ, जो पिक-अप पते पर पिक-अप समय से शुरू होती हैं।

- xiv. "अस्वीकार्य व्यवहार" का अर्थ है: सीट-बेल्ट न पहनना; मेहमान के लिए दरवाज़े न खोलना या बंद न करना (यह काम ड्राइवर को ही करना चाहिए); वाहन के अंदर धूम्रपान करना; शराब के नशे में होना, या किसी भी अवैध पदार्थ के प्रभाव में होना या उसे अपने पास रखना; गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करना; हिंसक या आक्रामक होना, या खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए खतरा या संभावित खतरा बनना; उपद्रवी व्यवहार करना; या किसी भी तरह से गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य स्थिति में होना।
- xv. "वाहन" का अर्थ है वह वाहन जिसका पंजीकरण नंबर बुकिंग में बताया गया है, या कोई भी बदला हुआ वाहन जिस पर दोनों पक्ष सहमत हों।
- xvi. "लेखन" में कोई भी लिखित कागज़ दस्तावेज़, ई-मेल पत्राचार और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश शामिल है।
- xvii. "बोलीदाता" से तात्पर्य निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी पक्षों से होगा।
- xviii. "संविदाकार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी से होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो कार्य कर रहा हो और इसमें ऐसे व्यक्ति या ऐसी फर्म या कंपनी से बने व्यक्तियों का कानूनी प्रतिनिधि, या ऐसी फर्म या कंपनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी के अनुमत समनुदेशिनी शामिल होंगे।
- xix. "बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि" से तात्पर्य बैंक द्वारा नियोजित और भुगतान प्राप्त करने वाले तथा बैंक के आदेशों के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों से है, जो दिन-प्रतिदिन के कार्य निष्पादन का सुपरविज़न करेंगे।
- xx. "संविदा राशि" का तात्पर्य सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों से गणना की गई कुल राशि से होगा तथा निविदा दस्तावेज़ में आवश्यकतानुसार बैंक द्वारा स्वीकार की गई राशि से होगा तथा कार्य सौंपने के पत्र में दर्शाया गया होगा।
- xxi. "लिखित में सूचना या लिखित सूचना" का अर्थ लिखित, टाइप या मुद्रित अक्षरों में भेजी गई सूचना है (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न की गई हो या अन्यथा प्राप्त होना सिद्ध न हो) जो पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजी गई हो और उसे उसी समय प्राप्त हुआ माना जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में उसे वितरित और/या भेजा गया होता। किसी भी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित संचार को भी लिखित सूचना माना जाएगा।
- xxii. "कार्य प्रारंभ" का तात्पर्य कार्य आदेश में 'कार्य प्रारंभ तिथि' के रूप में निर्दिष्ट तिथि से होगा।

3. इस समझौते में, जब तक संदर्भ से अलग अर्थ न निकलता हो, किसी भी जेंडर को बताने वाले शब्दों में सभी जेंडर शामिल होंगे और एकवचन बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और इसके विपरीत भी।

4. **संविदा करार पर हस्ताक्षर:** निविदा स्वीकार किए जाने के बारे में बैंक से सूचना मिलने पर, संविदाकार उसमें बताई गई तारीख से संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा। संविदाकार मौजूदा नियमों के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। संविदाकार दिल्ली/नई दिल्ली में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार उक्त करार पर उचित और आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। संविदाकार द्वारा चुकाए गए स्टाम्प ड्यूटी में कमी या गलत होने की वजह से बैंक पर

अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी, पेनल्टी या किसी अन्य रूप में कोई भी आर्थिक देनदारी आती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी संविदाकार की होगी और बैंक यह रकम सुरक्षा जमा या संविदाकार द्वारा पेश किए गए बिलों से वसूल करने का हकदार होगा।

5. **संविदा अवधि:** यह करार 'लेटर ऑफ़ अवार्ड' में बताई गई तारीख से लागू होगा और एक साल तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे 'टर्मिनेशन क्लॉज़' (समाप्ति की शर्त) के अनुसार पहले ही खत्म न कर दिया जाए। संविदाकार के संतोषजनक प्रदर्शन (जिसका मूल्यांकन बैंक करेगा) और बैंक की अपनी मर्ज़ी के आधार पर, इस संविदा को उन्हीं शर्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा दो साल के लिए (एक बार में एक साल या उससे कम समय के लिए) आगे बढ़ाया जा सकता है। निविदा दस्तावेज़ में दी गई शर्तें और जारी किए गए कोई भी स्पष्टीकरण (संशोधन) इस करार का अहम हिस्सा माने जाएंगे और दोनों पक्षों पर लागू होंगे।

बी) संविदाकार की ओर से दायरा और दायित्व

1) संविदा में बताई गई सभी ज़रूरी रिपोर्ट और अन्य जानकारी ज़रूरत के अनुसार तुरंत बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी और बैंक के साथ नियमित बैठकें की जाएँगी।

2) संविदाकार और उसके कर्मचारी बैंक की संपत्ति को नुकसान, विनाश और बर्बादी से बचाने के लिए उचित और वाजिब सावधानी बरतेंगे।

3) संविदाकार बैंक द्वारा सौंपी गई ज़िम्मेदारियों वाले क्षेत्रों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और न ही जान-बूझकर किसी व्यक्ति को उन संपत्तियों की कोई चीज़ उधार देगा या देगा जिनका प्रबंधन वह कर रहा है।

4) संविदाकार को व्यवस्थाओं के प्रशासन, देखरेख और संचालन से जुड़ी सभी सेवाएँ, कार्य और गतिविधियाँ करनी होंगी। ये काम यहाँ बताए गए निर्देशों और बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले उन निर्देशों के अनुसार होंगे जिन पर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी है।

5) संविदाकार के कर्मचारियों के किसी भी काम की वजह से होने वाले किसी भी कानूनी मामले (जिसमें उपभोक्ता आयोग के मामले भी शामिल हैं) से जुड़ी कोई भी ज़िम्मेदारी, जिसमें सभी खर्च और जुर्माना भी शामिल है, सीधे संविदाकार को ही उठानी होगी।

6) संविदाकार के पास दिल्ली में चौबीसों घंटे चलने वाली कंट्रोल रूम सर्विस और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए क्लिक रिस्पॉन्स टीमों होनी चाहिए।

7) इस समझौते का उद्देश्य बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों को ज़रूरत पड़ने पर किराए के आधार पर अलग-अलग तरह की गाड़ियाँ उपलब्ध कराना है।

8) जब भी बैंक या बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की ओर से मांग की जाएगी, तो संविदाकार एयर-कंडीशंड कारें, एसयूवी वगैरह (जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, होंडा अमेज, हुंडई ऑरा, हुंडई वरना, होंडा सिटी, मारुति सुजुकी सियाज, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस, मारुति सुजुकी इनविक्टो और ऐसी ही दूसरी गाड़ियाँ), एसी टेम्पो ट्रेवलर (20-सीटर) और एसी मिनी बसें (40-सीटर) उपलब्ध कराएगा।

9) संविदाकार के पास अलग-अलग तरह की ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए जिनके पास वैध टैक्सी परमिट और दूसरी ज़रूरी मंजूरियां हों, और साथ ही उनके पास लोकल और पूरे भारत में यात्रा करने के लिए वैध परमिट भी होने चाहिए।

10) सभी गाड़ियाँ साफ़-सुथरी और अच्छी हालत में होनी चाहिए, और उनकी अपहोल्स्ट्री वगैरह भी ठीक-ठाक होनी चाहिए।

11) तैनात ड्राइवर के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे ट्रैफिक कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखाना होगा। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी।

12) तैनात किए जाने वाले ड्राइवरों का चरित्र अच्छा होना चाहिए, उन्हें गाड़ी चलाने का ठीक-ठाक अनुभव होना चाहिए और वे अंग्रेज़ी व हिंदी बोल सकते हों। ज़रूरत पड़ने पर, वे रास्ते में गाड़ियों की छोटी-मोटी मरम्मत भी कर सकें।

13) ड्राइवर को तय जगह और समय पर साफ़-सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर आना चाहिए। इसके अलावा, उसे हर समय विनम्र, शिष्ट और सेवा-भाव रखने वाला होना चाहिए।

14) गाड़ियों में ये चीज़ें होनी चाहिए: (i) एक अंग्रेज़ी या हिंदी और एक फ़ाइनेंशियल अख़बार (ii) 250 ml की चार ब्रांडेड मिनरल वॉटर की बोतलें (iii) केस/पाउच में फ़्रेस टिश्यू पेपर, (iv) छाता और फ़र्स्ट-एड बॉक्स, और (v) आग बुझाने वाला यंत्र (फ़ायर-एक्सटिंग्विशर) और मोबाइल चार्जर। इनके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। इन सेवाओं को पक्का करने के लिए, संविदाकार ड्यूटी पूरी होने पर गेस्ट/अधिकारी से पुष्टि लेने के लिए ड्यूटी स्लिप के साथ एक फ़ीडबैक फ़ॉर्म लगाएगा।

15) ड्राइवर को रोज़ाना माइलेज का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए और उसे बैंक के गेस्ट या अधिकारी से पुष्टि करवाना चाहिए। ड्राइवर को ड्यूटी स्लिप भी रखनी चाहिए, जिसमें तय की गई दूरी (किलोमीटर) और ड्यूटी खत्म होने के समय जैसी पूरी जानकारी हो और जिस अधिकारी ने सर्विस का इस्तेमाल किया हो, उससे उसे वेरिफ़ाई करवाया गया हो।

16) कुल घंटों की गिनती ड्राइवर के तय जगह/समय पर रिपोर्ट करने (जैसा कि कार डेस्क या बैंक के संबंधित अधिकारी ने बताया हो) से लेकर गेस्ट के साइन-ऑफ़ करने तक की जाएगी।

17) हर गाड़ी से जुड़े सभी कागज़ात, जैसे कि इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, परमिट, वैध लाइसेंस, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफ़िकेट वगैरह, गाड़ी में ड्राइवर के पास हमेशा मौजूद होने चाहिए।

18) संविदाकार के पास बैंक को उपलब्ध कराई गई गाड़ी के खराब होने की स्थिति में इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट या टूरिंग सुविधा देने वालों का इंतज़ाम करने की क्षमता होनी चाहिए, और उसे सरकारी या इंश्योरेंस अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में भी सक्षम होना चाहिए।

19) संविदाकार को फ़ोन पर दिए गए मौखिक या लिखित निर्देशों के अनुसार, तय समय के भीतर कार उपलब्ध करानी होगी। संविदाकार को बैंक की ओर से कम समय की सूचना पर भी कार उपलब्ध करानी होगी (जैसे इमरजेंसी की स्थिति में एक घंटे के भीतर)। अगर संविदाकार बैंक के अनुरोध (चाहे फ़ोन पर

मौखिक हो या लिखित) पर कार/टैक्सी उपलब्ध कराने में नाकाम रहता है, तो बैंक ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वालों की सूची से संविदाकार को हटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

20) संविदाकार द्वारा नियुक्त किए गए लोग उसी के कर्मचारी होंगे और न तो संविदाकार और न ही ड्राइवर बैंक में किसी भी तरह की नौकरी का दावा कर सकेंगे।

21) संविदाकार द्वारा नियुक्त ड्राइवर/कर्मचारी बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर वाहनों/व्यक्तियों की सुरक्षा जाँच की जाएगी।

22) संविदाकार को अपने द्वारा नियुक्त ड्राइवरों के पिछले रिकॉर्ड के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करनी होगी।

23) संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराई गई कारें 3 साल से ज़्यादा पुरानी न हों।

24) संविदाकार को बुकिंग की पुष्टि सीधे गेस्ट को ईमेल और SMS के ज़रिए देनी चाहिए। साथ ही, यूज़र के आने या जाने से कम से कम 8 घंटे पहले, कार की जानकारी (जैसे कार का मेक/रंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर) कार डेस्क के अधिकारियों और कार इस्तेमाल करने वाले यूज़र को ईमेल और एसएमएस के ज़रिए ज़रूर भेजनी चाहिए।

25) एक बार जब ड्राइवर बैंक के गेस्ट या अधिकारी को रिपोर्ट कर देता है, तो उसे हमेशा कार के साथ मौजूद रहना होगा।

26) ड्राइवर को एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन आदि पर आने वाले बैंक के अतिथि/अधिकारी की जानकारी वाला प्लेकार्ड साथ रखना होगा। संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्राइवरों की सेवा में कोई कमी न हो।

27) संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई टैक्सियाँ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हों।

28) ड्राइवर बैंक के अधिकृत अधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे और बैंक परिसर में सुरक्षा से जुड़े बैंक के नियमों और कायदों का भी पालन करेंगे।

29) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के उल्लंघन और वाहनों, यात्रियों या तीसरे पक्ष के साथ होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों (चाहे वे वित्तीय हों या अन्य) के लिए संविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

30) समय की पाबंदी और सेवा की गुणवत्ता इस समझौते का मुख्य आधार होंगे। इसलिए, समझौते का नवीनीकरण संविदाकार द्वारा समय की पाबंदी और संतोषजनक कामकाज पर निर्भर करेगा।

सी) सांविधिक अनुपालन

(क) संविदाकार के कर्मचारियों को 'कोड ऑफ़ वेजेज़, 2019' और उसके तहत बने नियमों के अनुसार कम से कम न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और ईएसआई की सुविधा दी जानी होगी। ईएसआई न होने की स्थिति में, संविदाकार को 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत कर्मचारी

मुआवज़ा बीमा (Employee Compensation Insurance) जैसे बीमा कवरेज की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। पूरा प्रीमियम संविदाकार को ही देना होगा। संविदाकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ़ योगदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ़ खाता होगा। अगर किसी कानूनी भुगतान का पालन न करने के बारे में कोई शिकायत मिलती है, तो उस राशि को बिल या बैंक के पास जमा सुरक्षा जमा से काट लिया जाएगा; इससे संविदा रद्द करने के बैंक के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संविदाकार को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020' के सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा।

(ख) संविदाकार को 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' और/या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारियों के पास पंजीकृत होना चाहिए।

(ग) संविदाकार, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा।

ई) भुगतान के लिए प्रयोज्य शर्तें

क) संविदाकार भुगतान पाने के लिए हर दो हफ़्ते में बैंक को अपने बिल जमा करेगा। बैंक के नियंत्रण से बाहर की स्थितियों को छोड़कर, बिल जमा करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा (लागू टैक्स काटने के बाद)। यह समय-सीमा सही और पूरे बिल और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने की तारीख से गिनी जाएगी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

i. संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन के ड्राइवर को संविदाकार से मिली ड्यूटी स्लिप अपने साथ रखनी होगी। इन स्लिप में तारीख, समय, किलोमीटर रीडिंग और यात्रा की गई जगहों का विवरण भरना होगा और यूज़र/बैंक अधिकारियों से उन पर हस्ताक्षर करवाने होंगे।

ii. इन्हीं ड्यूटी स्लिप के आधार पर संविदाकार बैंक को बिल भेजेगा।

iii. दूरी की गिनती गैराज से की जाएगी, लेकिन इस मामले में यूज़र के डिलीवरी पते और गैराज/सामान्य पार्किंग स्थल के बीच हर तरफ़ की चार्ज की जाने वाली दूरी 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी।

ख) एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन से पिकअप और आउटस्टेशन ट्रिप के दौरान लगने वाले टोल और पार्किंग चार्ज का भुगतान असल खर्च के आधार पर, रसीद दिखाने पर किया जाएगा।

ग) एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन पर 'ड्रॉप' के मामले में कोई पार्किंग चार्ज नहीं दिया जाएगा।

घ) 4 घंटे/40 किमी के बाद और ज़्यादा किराए वाले स्लैब में जाने से पहले, कुशन टाइम (अतिरिक्त समय/दूरी) 1 घंटा या 10 किमी होगा।

ङ) अगर संविदाकार बैंक द्वारा बुक की गई कैटेगरी की कार उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो उसे उससे ऊंची कैटेगरी की गाड़ी देनी होगी। हालांकि, भुगतान बैंक द्वारा बुक की गई कैटेगरी की गाड़ी के लिए ही किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, संविदाकार निचली कैटेगरी की कार उपलब्ध नहीं कराएगा।

च) किसी भी कानूनी भुगतान (सांविधिक भुगतान) का पालन न करने के बारे में कोई शिकायत मिलने पर, संविदा खत्म करने के बैंक के अधिकार पर असर डाले बिना, उस रकम को बिल से रोक लिया जाएगा।

छ) एक घोषणा-पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि सभी सांविधिक कानूनों (Statutory Acts) का पालन किया गया है। यह घोषणा-पत्र संविदाकार के लेटरहेड पर होना चाहिए और उस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। साथ ही, बिल के साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि "बैंक के साथ चल रहे संविदा के तहत सरकार को सभी कानूनी भुगतान कर दिए गए हैं और RBI के स्थानों पर तैनात सभी कर्मचारियों को 'मजदूरी संहिता, 2019' और संविदा के अनुसार पूरा वेतन दे दिया गया है। मजदूरों के रोजगार से जुड़े समय-समय पर जारी सभी सरकारी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।" हर दो हफ्ते में बनने वाले बिल/इनवॉइस के साथ बैंक के बताए अनुसार कोई अन्य दस्तावेज़ भी जमा करना होगा। अगर बिल के साथ ऊपर बताए गए दस्तावेज़ों में से कोई भी दस्तावेज़ जमा नहीं किया जाता है, तो बैंक बिल को स्वीकार करने या उसका भुगतान करने से मना कर सकता है। बिल जमा करने से पहले, संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिल वाली अवधि के लिए संविदाकार द्वारा लगाए गए लोगों को मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संविदाकार किसी भी हालत में इस संविदा की शर्तों में तय किए गए शुल्क से ज़्यादा किसी शुल्क का दावा करने का हकदार नहीं है। सभी लागू कानूनी टैक्स, जैसे आय कर, जीएसटी आदि काटने के बाद बिल का निपटारा किया जाएगा। बिल से काटे गए टीडीएस के सबूत के तौर पर हर तिमाही टीडीएस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

ज) बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बिल के भुगतान के बाद संविदाकार के कामों और बिलों (सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्सट्रैक्ट आदि सहित) का ऑडिट और तकनीकी जांच करवाए यदि ऐसे ऑडिट और तकनीकी जांच के परिणामस्वरूप यह पाया जाता है कि संविदाकार द्वारा संविदा के तहत किए गए किसी काम के लिए या संविदा के तहत किए गए बताए गए लेकिन असल में न किए गए किसी काम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा भुगतान किया गया है, तो संविदाकार उस ज़्यादा भुगतान की गई राशि को वापस करने के लिए ज़िम्मेदार होगा बैंक के लिए यह कानूनी रूप से सही होगा कि वह संविदाकार से उस राशि की वसूली बकाया बिलों, सुरक्षा जमा या किसी अन्य कानूनी रूप से मान्य तरीके से करे; और यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार को संविदा के तहत किए गए किसी काम के लिए उसके हक से कम भुगतान किया गया था, तो बैंक संविदाकार को उस कम भुगतान की गई राशि का भुगतान करेगा, जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

झ) बैंक, संविदाकार द्वारा हर दो हफ्ते में जमा किए गए बिलों के आधार पर, परफॉर्मेंस के हिसाब से तय रकम का भुगतान करेगा, जिसमें सभी टैक्स शामिल होंगे। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई और चार्ज नहीं दिया जाएगा। नई दिल्ली में बैंक के ऑफिस आने-जाने के लिए बैंक किसी भी स्टाफ़ या संविदाकार के अधिकारियों को यात्रा का अलग से कोई खर्च नहीं देगा। अगर लागू हुआ, तो बैंक टीडीएसकाट लेगा।

ञ) अगर किसी कानूनी भुगतान का पालन न करने के बारे में कोई शिकायत मिलती है, तो बैंक के संविदा खत्म करने के अधिकार पर असर डाले बिना, वह रकम बिल से रोक ली जाएगी।

जी) जुर्माना क्लॉज़

सेवाओं में कमी और बैंक व उसके अधिकारियों या उन लोगों को, जिनके लिए बैंक सेवाएँ देने का निर्देश देता है, हुई गंभीर असुविधा के मामले में, संबंधित घटना के लिए नीचे बताए अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और संविदाकार इस मामले में बैंक के निर्णय को चुनौती नहीं देगा। जुर्माने की वसूली संबंधित बिल, अन्य लंबित बिलों या सुरक्षा जमा राशि से कटौती करके की जाएगी।

कमियों के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने का विवरण इस प्रकार है:

क्र सं	कमी की प्रकृत / सेवा में चूक	निर्धारित जुर्माना
1.	कार की विलंब से रिपोर्टिंग	हर अगले आधे घंटे या उसके किसी हिस्से के लिए ₹500/-
2.	अनुपलब्ध सुविधाएं (समाचार पत्र, पानी की बोतल (बिसलेरी/किनले या मानक ब्रांड), हैंड सैनिटाइज़र, फेस टिशू, फेस मास्क, छाता, आदि)	प्रति अनुपलब्ध सुविधा के लिए ₹500/-
3.	कार ड्यूटी की तारीख से तीन साल से ज़्यादा पुरानी पाई गई।	प्रति घटना के लिए ₹1000/-
4.	ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय पान या गुटखा चबाते या धूम्रपान करते हुए पाया गया / इसकी सूचना मिली।	प्रति घटना के लिए ₹1000/-
5.	ड्यूटी स्लिप में समय या किलोमीटर से जुड़ी गलत या बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई एंटीज़।	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
6.	बुकिंग के अनुसार कार रिपोर्ट न किए जाने पर	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
7.	ड्राइवर के मेहमान के साथ गलत व्यवहार करने की सूचना मिली / पाया गया।	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
8.	ड्राइवर को रास्ता न पता होने के कारण हुई असुविधा	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
9.	बिना स्मार्ट मोबाइल फ़ोन वाला ड्राइवर	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
10.	ड्यूटी के दौरान एनसीआर में रीफ़्यूलिंग के लिए ड्राइवर का रुकना	प्रति घटना के लिए ₹2000/-
11.	गाड़ी खराब होने की स्थिति में एक घंटे के भीतर वैकल्पिक वाहन का प्रबंध न कर पाना	हर मामले में ₹2000/- और साथ ही बैंक के सभी खर्चों की वसूली।
12.	ड्राइवर शराब, ड्रग्स या किसी गैर-कानूनी पदार्थ के नशे में पाया जाना / इसकी सूचना प्राप्त होना	प्रति घटना के लिए ₹5000/-
13.	ऑर्डर या मांग की गई कार के प्रकार/मॉडल की तुलना में निचले स्तर के प्रकार/मॉडल में बदलाव।	ट्रिप के लिए बुकिंग राशि के 100% के बराबर जुर्माना।

बैंक के पास ऐसी किसी भी कमी, सर्विस में चूक या बैंक को हुए नुकसान के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार है, जिसका अलग से ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो टेंडर डॉक्यूमेंट के पार्ट 1 में शामिल

है। अगर एक ही ड्यूटी के दौरान एक से ज़्यादा कमियां पाई जाती हैं, तो बैंक उन सभी कमियों के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार रखता है। इस मामले में बैंक का फ़ैसला अंतिम होगा।

एच) बीमा

संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि संविदा की अवधि के दौरान सभी यात्रियों और किसी भी थर्ड-पार्टी क्लेम के लिए बीमा कवर देने वाली एक व्यापक बीमा नीति मौजूद और लागू हो। किसी दुर्घटना की स्थिति में थर्ड-पार्टी को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा।

आई) क्षतिपूर्ति क्लॉज़

संविदाकार अपनी लापरवाही या लागू कानूनों का पालन न करने के कारण होने वाली चूक से उत्पन्न जोखिमों और नुकसानों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

जे) गैर-प्रकटीकरण:

संविदाकार और उसके द्वारा बैंक के परिसर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त कर्मचारी, बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस अनुबंध के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान संविदाकार के कब्जे या ज्ञान में आए हों, किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेंगे और इसे हर समय सख्त गोपनीयता में रखेंगे। संविदाकार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। संविदाकार या उसके कर्मचारी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेंगे, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देंगे या प्रकट नहीं करेंगे। संविदाकार, बैंक को संविदाकार या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति देगा। उपरोक्त का पालन न करने पर इसे संविदाकार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने/संविदा समाप्त करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी को गुप्त रखने की ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह से निभाई जाएँ।

के) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

क) संविदाकार "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। बैंक परिसर में अपने ही कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी, जो शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ख) संविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ग) यदि घटना में संविदाकार का कर्मचारी शामिल है तो संविदाकार को किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होना होगा, उदाहरण के लिए, यदि संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी मौद्रिक राहत।

घ) संविदाकार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ङ) संविदाकार को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।

एल) संविदा की समाप्ति

(क) दोनों में से कोई भी पक्ष लिखित में तीन पूरे कैलेंडर महीनों का नोटिस देकर इस समझौते को खत्म कर सकता है। अगर संविदाकार नोटिस पीरियड की शर्त को पूरा करने में कोई कमी करता है, तो बैंक अपनी मर्जी से सुरक्षा जमा का कुछ हिस्सा या पूरी रकम ज़ब्त कर सकता है।

(ख) इस क्लॉज़ में दी गई दूसरी शर्तों के अधीन, बैंक संविदाकार के खिलाफ़ किसी भी देरी, नुकसान के लिए किसी भी दावे और/या इस संविदा की किसी भी दूसरी शर्त या अन्य मामलों में अपने किसी भी अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना, लिखित नोटिस देकर नीचे दिए गए किसी भी मामले में संविदा को खत्म कर सकता है:

i. अगर संविदाकार ने संविदा छोड़ दिया है।

ii. अगर संविदाकार सर्विस देने में नाकाम रहा है, या बैंक से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद, इन शर्तों के तहत किसी कानूनी वजह के बिना, सर्विस के काम को रोक दिया है या ज़रूरी सावधानी और तेज़ी से काम नहीं किया है जिससे तय समय में सर्विस पूरी हो सके।

iii. संविदाकार को लिखित नोटिस देकर बताए गए कामों, मामलों या चीज़ों को करने या उनका पालन करने में लगातार लापरवाही बरती है या नाकाम रहा है।

iv. अगर संविदाकार ने बैंक के साथ संविदा गलत तरीकों (जैसे कार्टेलाइज़ेशन वगैरह) से हासिल किया हो या एग्रीमेंट का उल्लंघन किया हो।

v. अगर संविदाकार कोई व्यक्ति या फर्म है और वह 'दिवालियापन' (जैसा कि 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016' में बताया गया है) से जुड़ा कोई काम करता है, या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है; या अगर वह एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और उसके खिलाफ़ ज़बरदस्ती बंद करने (वाइंडिंग अप) का आदेश दिया जाता है, या वह स्वेच्छा से बंद करने का कोई प्रभावी प्रस्ताव पास करती है, या कोर्ट/ट्रिब्यूनल की देखरेख में बंद होने की प्रक्रिया से गुज़रती है, तो ऐसी स्थिति में 'ऑफिशियल असाइनी' या 'लिक्विडेटर' (जैसा भी मामला हो) तुरंत उसे नोटिस देगा। इस नोटिस में उससे यह साबित करने के लिए कहा जाएगा कि वह संविदा को पूरा करने में सक्षम है और बैंक के कहने पर इसके लिए ज़रूरी सिक््योरिटी भी दे सकता है।

vi. अगर संविदाकार (चाहे वह कोई व्यक्ति हो, फर्म हो या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी) के खिलाफ़ कोर्ट या प्राधिकरण की ओर से संपत्ति ज़ब्त करने की कार्रवाई या कोई अन्य प्रक्रिया शुरू की जाती है।

vii. अगर संविदाकार के किसी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से इस संविदा के तहत मिलने वाले किसी भुगतान को अटैच (ज़ब्त) किया जाता है, या संविदाकार इस संविदा या इसके तहत मिलने वाले या भविष्य में मिलने वाले किसी भुगतान पर कोई चार्ज या बोझ (encumbrance) डालता है।

viii. अगर संविदाकार इस संविदा (सिवाय खंड IV(a) के क्लॉज़ 3.1(f) के तहत) को किसी और को सौंपता है या सबलेट करता है।

(ग) इसके अलावा, क्लॉज़ (बी) में बताई गई किसी भी स्थिति में, बैंक संविदाकार को एक महीने का लिखित नोटिस देकर संविदा खत्म कर सकता है, भले ही पहले कोई छूट दी गई हो। लेकिन इससे बैंक के अधिकारों या संविदाकार की ज़िम्मेदारियों और देनदारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा; वे वैसे ही लागू रहेंगी जैसे कि संविदा खत्म न किया गया हो, और बाद में किए गए काम भी ऐसे ही माने जाएंगे जैसे कि वे संविदाकार ने या उसकी ओर से किए गए हों। इसके बाद बैंक उन कामों/सेवाओं को पूरा करवाने में हुए खर्च या नुकसान का पता लगाएगा और लिखित रूप में प्रमाणित करेगा। साथ ही, संविदाकार को देय राशि (यदि कोई हो) का भी हिसाब करेगा। प्रमाणित की गई राशि का भुगतान, स्थिति के अनुसार, या तो बैंक द्वारा संविदाकार को या संविदाकार द्वारा बैंक को किया जाएगा, और बैंक का प्रमाण-पत्र दोनों पक्षों के लिए अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक सुरक्षा जमा (सुरक्षा जमा राशि) को ज़ब्त करने का भी हकदार होगा।

(घ) संविदाकार द्वारा संविदा को समाप्त करना-

अगर संविदाकार द्वारा बैंक को लिखित नोटिस देकर भुगतान की मांग करने के 30 दिनों बाद भी बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है और वह बकाया रहता है, या अगर बैंक संविदा को रद्द कर देता है, या अगर बैंक के आदेश से या किसी कोर्ट के आदेश या रोक (injunction) के कारण काम तीन महीने तक रुका रहता है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में संविदाकार बैंक को 30 दिन का लिखित नोटिस देकर संविदा खत्म कर सकता है, और वह बैंक से किए गए सभी कामों का भुगतान पाने का हकदार होगा। इस तरह के भुगतान की रकम तय करते समय, संविदाकार के मूल निविदा में दी गई निवल दरों का पालन किया जाएगा। हालाँकि, जब तक बैंक मना न करे, संविदाकार को नोटिस पीरियड के दौरान संविदा से जुड़ी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते रहना होगा।

(ङ) संविदाकार की मृत्यु के मामले में संविदा की समाप्ति-

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर असर डाले बिना, अगर संविदाकार (जो एक व्यक्ति या सोल प्रोप्राइटर है) की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक के पास संविदा खत्म करने का विकल्प होगा। ऐसा करने पर बैंक की कोई देनदारी नहीं होगी और न ही संविदाकार को कोई मुआवज़ा देना होगा।

एम) अप्रत्याशित घटना:

इस दस्तावेज़ में दी गई किसी भी बात के बावजूद, कोई भी पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में होने वाली किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, अगर ऐसी देरी उनके उचित नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों, जिनमें सरकारी कार्य, दैवीय घटनाएँ, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाएँ, हड़तालें, किसी क्षेत्र में दंगे, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) शामिल हैं, के कारण होती है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। हालाँकि, देरी का कारण बनने वाली ऐसी किसी भी घटना के होने पर, संविदाकार

को तुरंत बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी। संविदाकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह अप्रत्याशित घटनाओं के असर को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। ऐसी घटना के कारण, कोई भी पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के संबंध में संविदा को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। घटना के समाप्त होने या खत्म हो जाने के बाद, जितनी जल्दी हो सके संविदा के तहत ज़िम्मेदारियों को फिर से शुरू किया जाएगा। यदि घटना के कारण संविदा के तहत किसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में आपसी सहमति से तय समय से अधिक देरी होती है या उसे पूरा करने से रोका जाता है, तो कोई भी पक्ष अपनी मर्जी से संविदा को समाप्त कर सकता है।

एन) विवाद समाधान

(i) अगर संविदा या काम को पूरा करने के सिलसिले में बैंक और संविदाकार के बीच किसी भी तरह का विवाद होता है, तो दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के ज़रिए इसे अच्छे इरादे से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कोशिश उस तारीख से 30 दिनों के अंदर होनी चाहिए जब कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत या आपसी चर्चा के लिए नोटिस देता है। विवाद को सुलझाने के लिए बैंक एक इंटरनल 'विवाद समाधान समिति' बना सकता है।

(ii) अगर बताई गई समय-सीमा के अंदर आपसी सहमति से कोई समाधान नहीं निकलता है, तो अनसुलझे विवाद को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से चुने गए एकमात्र मध्यस्थ को सौंपा जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही 'आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996' (समय-समय पर हुए संशोधनों सहित) की धारा 29बी में बताई गई 'फास्ट ट्रैक प्रक्रिया' के तहत की जाएगी। इस तरह नियुक्त मध्यस्थ का फैसला अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, संविदाकार को इस समझौते के तहत अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करना जारी रखना होगा, जब तक कि बैंक उसे ऐसा करने से छूट न दे दे।

ओ) **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस समझौते से जुड़े या किसी भी तरह से संबंधित सभी विवाद नई दिल्ली में उत्पन्न हुए माने जाएंगे और केवल नई दिल्ली की न्यायालयों को ही इनका निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

कि संविदाकार ने इस संविदा के विभिन्न भागों को पढ़ लिया है और उन्हें पूरी तरह से समझ लिया है।

इसके प्रमाणस्वरूप, बैंक और संविदाकार ने ऊपर लिखी तारीख और साल को इस दस्तावेज़ पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

अगर संविदाकार कोई पार्टनरशिप फ़र्म या कोई व्यक्ति है।

इसके प्रमाण के तौर पर, बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं और संविदाकार ने अपनी आधिकारिक मुहर इस पर लगवाई है और अपनी ओर से इस दस्तावेज़ को निष्पादित करवाया है; यह सब उसी दिन और वर्ष को किया गया है जो ऊपर सबसे पहले उल्लिखित है।

अगर संविदाकार कोई कंपनी है।

हस्ताक्षर क्लॉज़

के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द
श्री

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

गवाह

के द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द
की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

अगर पार्टी पार्टनरशिप फर्म या कोई व्यक्ति है, तो उस पर सभी पार्टनर के या उनकी ओर से हस्ताक्षर होने चाहिए।

गवाह

का आधिकारिक मुहर

यह _____ को हुई मीटिंग में इसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा पास किए गए प्रस्तावों के अनुसार लगाया गया है, जिसमें शामिल थे:

(1)

(2)

डायरेक्टर्स जिन्होंने इन अधिनिर्णय पर हस्ताक्षर किए हैं,
की मौजूदगी में।

(1)

(2)

संविदाकार द्वारा श्री _____
और विधिवत नियुक्त अटॉर्नी के हाथों हस्ताक्षरित और
सुपुर्द

अगर संविदाकार अपनी
आधिकारिक मुहर (कॉमन सील)
के तहत हस्ताक्षर करता है, तो
हस्ताक्षर क्लॉज़, 'आर्टिकल्स ऑफ़
एसोसिएशन' में दिए गए सीलिंग
क्लॉज़ से मेल खाना चाहिए।

अगर संविदाकार पावर ऑफ़
अटॉर्नी के ज़रिए हस्ताक्षर कर रहा
है, चाहे वह कंपनी हो या कोई
व्यक्ति।

अनुलग्नक IX - भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोली लगाने वाले द्वारा अंडरटेकिंग / घोषणा / प्रमाण-पत्र का प्रोफार्मा

(इसे बोली लगाने वालों को अपने लेटरहेड पर जमा करना होगा, जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर हों।)

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक नई दिल्ली

कार्य का नाम:

मैं/हम (बोली लगाने वाले का नाम और पता, जिसमें उस देश का विवरण भी शामिल हो जहाँ वह स्थित है) ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पब्लिक प्रोक्योरमेंट डिवीज़न द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम (OM) एफ़.सं. 6/18/2019-PPD (दिनांक 23 जुलाई, 2020) और उसके बाद जारी आदेशों/संशोधनों को पढ़ और समझ लिया है। ये आदेश उस देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर लगी पाबंदियों से संबंधित हैं, जिसकी सीमा भारत से लगती है।

2. मैं/हम सर्टिफ़ाई करते हैं कि (बोली लगाने वाले का नाम)

भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश से नहीं है, या

क. भारत के साथ ज़मीनी सीमा वाले देश से हो और सक्षम अधिकारी के पास रजिस्टर्ड हो, जिसका सर्टिफ़िकेट साथ में हो, या

ख. क्या यह ऐसे देश से है जिसकी ज़मीनी सीमा भारत के साथ लगती है और जहाँ भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन दी हुई है, या

ग. यह भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले उस देश से है, जहाँ भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(ऊपर दी गई बातों में से जो लागू न हो, उसे काट दें।)

3. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि (बोली लगाने वाले का नाम) इस संबंध में सभी ज़रूरतों को पूरा करता है और ऊपर बताए गए ऑफिस मेमोरेण्डम और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों के तहत विचार किए जाने के योग्य है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में बैंक/RBI द्वारा हमें सब-कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति है, उनमें भी मैं/हम (बोली लगाने वाले का नाम) भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश (देशों) के किसी संविदाकार को कोई काम सब-कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक कि वह संविदाकार ऊपर बताए गए ऑफिस मेमोरेण्डम/आदेश में दी गई सभी ज़रूरतों को पूरा न करता हो।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि अगर हमारे द्वारा जमा किया गया यह अंडरटेकिंग / घोषणा / सर्टिफिकेशन / सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे टेंडर / वर्क ऑर्डर को अस्वीकार / रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही, बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी

स्वतंत्र होगा, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट / परफॉर्मेस बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा ज़ब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित टेंडरों में भाग लेने से हमें रोकना शामिल है।

मुहर सहित बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

तिथि:

स्थान:

अनुलग्नक X – फीडबैक फॉर्म

उपयोगकर्ता फीडबैक फॉर्म / USER FEEDBACK FORM

मैं यात्रा के लिए फीडबैक देने को तैयार हूँ - हाँ नहीं

I am willing to provide the feedback for the journey - Yes No

एजेंसी का नाम / Name of agency	
कार नंबर / Car No.	
चालक का नाम / Driver Name	

क्रमांक Sr. No.	विवरण / Particulars	हाँ / Yes	नहीं / No
1.	क्या ड्राइवर ने समय पर रिपोर्ट किया / Was the driver on time ?		
2.	क्या ड्राइवर द्वारा कार स्टार्ट करते समय मीटर रीडिंग दिखाई गई थी? / Was starting car meter reading shown by the driver?		
3.	क्या ड्राइवर वर्दी में था / उसका व्यवहार अच्छा था / वह अनुभवी था? / Was the driver neatly dressed/ well-behaved/ experienced?		
4.	क्या कार का रखरखाव ठीक था? / Was the car well maintained?		
5.	निम्नलिखित आइटमों की उपलब्धता / अनुपलब्धता दर्शाएँ :-		
		हाँ	नहीं
	प्लेकार्ड / Placard		
	पानी बोतल / Water Bottle		
	अखबार / Newspaper		
	हैंड सैनीटाइजर / Hand Sanitizer		
	फेस टिशू / Face Tissues		
6.	कोई अन्य सुझाव/शिकायत/टिप्पणी / Any other suggestion/ complaint/ observation:		

(उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर / Signature of the user)

नाम / Name :

पदनाम / Designation :

भाग - II
वित्तीय / मूल्य बोली

भाग-II: मूल्य बोली खोलने का समय और तारीख	बाद में सूचित किया जाएगा
--	--------------------------

खंड VI: वित्तीय/ मूल्य बोली

पंजीकृत टैक्सी ऑपरेटर्स/कार/टेम्पो ट्रैवलर/बस किराए पर लेने वाली एजेंसियों/कंपनियों से पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु ई-निविदा हेतु मूल्य बोली

लोकल और आउटस्टेशन टूर के लिए अलग-अलग तरह की कारें/यूटिलिटी गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए, अलग-अलग इस्तेमाल के हिसाब से दरों का विवरण नीचे दिया गया है। इसमें निविदा भरने वाले के पास मौजूद गाड़ियों और अलग-अलग तरह की सेवाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इन दरों में जीएसटी शामिल नहीं होना चाहिए।

(यहां दर न बताएं। रेट केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ही बताए जाएँ।)

क्र सं	मद का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (₹)*
1	मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर/ होंडा अमेज़/ हुंडई और कार लोकल ड्यूटी 4 घंटे/ 40 किमी (बेंचमार्क दर - ₹1100)	प्रत्येक	1	
2	लोकल ड्यूटी (8 घंटे/80 किलोमीटर) के लिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर / होंडा अमेज़ / हुंडई और कार (बेंचमार्क दर - ₹1950)	प्रत्येक	1	
3	एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर / होंडा अमेज़ / हुंडई और कार (बेंचमार्क दर - ₹15)	प्रत्येक	1	
4	अतिरिक्त घंटों के लिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर / होंडा अमेज़ / हुंडई और कार (बेंचमार्क दर - ₹150)	प्रत्येक	1	
5	मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर / होंडा अमेज़ / हुंडई और कार के लिए नाइट हॉल्ट चार्ज (सिर्फ़ आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए)	प्रत्येक	1	

	(बेंचमार्क दर - ₹300)			
6	लोकल इस्तेमाल के लिए होंडा सिटी/ मारुति सुजुकी सियाज़/ हुंडई वरना कार (4 घंटे/40 किलोमीटर) (बेंचमार्क दर - ₹1550)	प्रत्येक	1	
7	लोकल ड्यूटी के लिए होंडा सिटी/ मारुति सुजुकी सियाज़/ हुंडई वरना कार (8 घंटे/80 किलोमीटर) (बेंचमार्क दर - ₹2450)	प्रत्येक	1	
8	अतिरिक्त किलोमीटर के लिए होंडा सिटी/मारुति सुजुकी सियाज/हुंडई वरना कार (बेंचमार्क दर - ₹23)	प्रत्येक	1	
9	होंडा सिटी / मारुति सुजुकी सियाज़ / हुंडई वरना कार - अतिरिक्त घंटे के लिए (बेंचमार्क दर - ₹200)	प्रत्येक	1	
10	होंडा सिटी / मारुति सुजुकी सियाज़ / हुंडई वरना कार के लिए नाइट हॉल्ट चार्ज (सिर्फ़ आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए) (बेंचमार्क दर - ₹350)	प्रत्येक	1	
11	लोकल ड्यूटी के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार (4 घंटे/40 किलोमीटर) (बेंचमार्क दर - ₹1900)	प्रत्येक	1	
12	लोकल ड्यूटी के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार (8 घंटे/80 किलोमीटर)	प्रत्येक	1	

	(बेंचमार्क दर - ₹3150)			
13	एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार (बेंचमार्क दर - ₹23)	प्रत्येक	1	
14	अतिरिक्त घंटों के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार (बेंचमार्क दर - ₹250)	प्रत्येक	1	
15	टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार के लिए नाइट हॉल्ट चार्ज (सिर्फ आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए) (बेंचमार्क दर - ₹300)	प्रत्येक	1	
16	लोकल इस्तेमाल के लिए टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस / मारुति सुजुकी इन्विक्टो कार (4 घंटे/40 किलोमीटर) (बेंचमार्क दर - ₹2000)	प्रत्येक	1	
17	लोकल ड्यूटी के लिए टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस / मारुति सुजुकी इन्विक्टो कार (8 घंटे/80 किलोमीटर) (बेंचमार्क दर - ₹3500)	प्रत्येक	1	
18	एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस / मारुति सुजुकी इन्विक्टो कार (बेंचमार्क दर - ₹28)	प्रत्येक	1	
19	अतिरिक्त घंटे के लिए टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस / मारुति सुजुकी इन्विक्टो कार (बेंचमार्क दर - ₹250)	प्रत्येक	1	

20	टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस / मारुति सुजुकी इन्विक्टो कार के लिए नाइट हॉल्ट चार्ज (सिर्फ आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए) (बेंचमार्क दर - ₹350)	प्रत्येक	1	
21	लोकल ड्यूटी के लिए टेम्पो ट्रैवलर (4 घंटे/40 किलोमीटर) (बेंचमार्क दर - ₹4000)	प्रत्येक	1	
22	लोकल ड्यूटी के लिए टेम्पो ट्रैवलर (8 घंटे/80 किलोमीटर) (बेंचमार्क दर - ₹6500)	प्रत्येक	1	
23	अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टेम्पो ट्रैवलर (बेंचमार्क दर - ₹45)	प्रत्येक	1	
24	अतिरिक्त घंटे के लिए टेम्पो ट्रैवलर (बेंचमार्क दर - ₹500)	प्रत्येक	1	
25	टेम्पो ट्रैवलर के लिए नाइट हॉल्ट (रात में रुकने) का शुल्क (सिर्फ आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए) (बेंचमार्क दर - ₹1000)	प्रत्येक	1	
26	लोकल ड्यूटी के लिए एसी बस (40 सीटों वाली) - 4 घंटे/40 किलोमीटर (बेंचमार्क दर - ₹5500)	प्रत्येक	1	
27	लोकल ड्यूटी के लिए एसी बस (40 सीट वाली) - 8 घंटे/80 किलोमीटर (बेंचमार्क दर - ₹9500)	प्रत्येक	1	

28	अतिरिक्त किलोमीटर के लिए एसी बस (40 सीटों वाली) (बेंचमार्क दर - ₹65)	प्रत्येक	1	
29	अतिरिक्त घंटे के लिए एसी बस (40 सीटों वाली) (बेंचमार्क दर - ₹800)	प्रत्येक	1	
30	एसी बस (40 सीटों वाली) के लिए रात में रुकने का शुल्क (सिर्फ शहर से बाहर की यात्रा के लिए) (बेंचमार्क दर - ₹1000)	प्रत्येक	1	
* दर (₹) केवल पूर्णांकों में ही बताई जानी चाहिए।				

1. आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए, हर दिन कम से कम 250 किलोमीटर का प्रभार (जैसा कि अतिरिक्त किलोमीटर के तहत बताया गया है) दिया जाएगा। आउटस्टेशन (कम से कम 250 किलोमीटर) ड्यूटी का मतलब दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ आदि इलाकों के अलावा की ड्यूटी है।

2. लोकल ड्यूटी के लिए, अगर पिक-अप/ड्रॉप दिल्ली में हो, तो गैराज से अतिथि को पिक-अप करने की जगह तक और गेस्ट को ड्रॉप करने की जगह से वापस गैराज तक की दूरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 किमी (आने-जाने के लिए अलग-अलग) का चार्ज क्लेम किया जा सकता है। अगर पिक-अप/ड्रॉप दिल्ली के बाहर किसी इलाके में हो, तो यह लिमिट 30 किमी होगी। इसके अलावा, बिल का भुगतान गैराज से तय जगह तक की असल दूरी या 15 किमी/30 किमी (जो भी लागू हो) - दोनों तरफ (आने-जाने के लिए) - में से जो भी कम हो, उसके आधार पर किया जाएगा। साथ ही, गैराज से पिक-अप पॉइंट तक और ड्रॉप पॉइंट से वापस गैराज तक के समय के लिए भुगतान करते समय ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे का समय माना जाएगा।

3. कानूनी दायित्वों/बाज़ार की स्थितियों में बदलाव और/या टेक्नोलॉजी में बदलाव आदि की स्थिति में, बैंक के पास ऊपर बताई गई दरों पर फिर से बातचीत करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. दरें बताते समय उन शर्तों और नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए जिनका पालन संविदाकार को करना है।